अध्याय I

राज्य सरकार के वित्त

उत्तर प्रदेश राज्य का परिदृश्य

उत्तर प्रदेश राज्य भारत वर्ष का पांचवाँ सबसे बड़ा राज्य है। इसका क्षेत्रफल 2.41 लाख वर्ग किलोमीटर है। वर्ष 2012 की जनगणना के अनुसार इस राज्य की कुल जनसंख्या 20.28 करोड़[1] थी। विगत एक दशक में उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या का घनत्व 690 व्यक्ति प्रति किलोमीटर के सापेक्ष बढ़कर 828 व्यक्ति प्रति किलोमीटर तक हो गया। ***(परिशिष्ट 1.1)***

उत्तर प्रदेश राज्य की अखिल भारतीय औसत दरों की तुलना में साक्षारता दर एवं शिशु में जन्म दर कम है तथा शिशु में उच्च मृत्यु दर एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वालो की जनसंख्या अधिक है। राज्य की सकल राज्य घरेलू उत्पाद की विकास दर विगत दशक में अन्य सामान्य श्रेणी के राज्यों के 14.46 *प्रतिशत* के सापेक्ष 12.77 *प्रतिशत* थी। वर्तमान दशक में राज्य की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि भी अन्य सामान्य श्रेणी के राज्यों के सापेक्ष कम थी।

1.1 प्रस्तावना

राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए वस्तुओं/सामग्रियों के मूल्यों में अस्थिरता एवं आर्थिक मंदी के बीच फरवरी 2011 में बजट प्रस्तुत किया तथा अपने बजट भाषण में समाज के दुर्बल एवं निशक्त वर्गो के आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण तथा शैक्षिक उन्नति की आवश्यकता पर जोर देते हुए सामाजिक सुरक्षा की विभिन्न योजनाओं हेतु ₹ 10,084 करोड़ तथा महिला एवं बाल कल्याण की योजनाओं हेतु ₹ 4,761 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित किया। अवस्थापना क्षेत्र में राज्य सरकार ने विद्युत क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं हेतु ₹ 8,227 करोड़ का तथा सड़क और सेतु, सिंचाई, नगर विकास, कृषि एवं अन्य सम्बद्ध क्रियाकलापों आदि हेतु भी पर्याप्त बजट प्रावधान प्रस्तावित किया। तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा का अनुसरण करते हुए राज्य सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र में समयबद्ध ढंग से ऊर्जा हानि को कम करने तथा विद्युत संचार हेतु विद्युत वितरण में हो रही हानियों को रोकने के लिए कुछ कदम उठाये हैं।

वर्ष 2011–12 की अवधि में सकल राज्य घेरलू उत्पाद में वृद्धि हुई है। वर्ष 2010–11 के ₹ 5,88,467 करोड़ के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष यह वर्तमान वर्ष में ₹ 6,87,836 करोड़ थी। वर्ष 2007–12 की अवधि में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की विकास दर 14.37 *प्रतिशत* से 19.78 *प्रतिशत* के मध्य थी। यद्यपि वर्ष 2011–12 की समाप्ति पर राजकोषीय देयताओं का अवशेष ₹ 2,43,229 करोड़ था तथापि, विकास दर विगत वर्ष की तुलना में कम थी। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में राजकोषीय देयता का *प्रतिशत* वर्ष 2007–08 के 48.73 से कम होकर वर्ष 2011–12 में 35.36 *प्रतिशत* रह गया। राज्य की अर्थव्यवस्था में, वर्ष 2004 से राजस्व में आधिक्य रहा और वर्तमान वित्तीय वर्ष के अंत में, प्राथमिक घाटा भी पूर्णतः समाप्त हो कर आधिक्य में परिवर्तित हो गया।

यह अध्याय उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के वर्ष 2011–12 की अवधि के वित्त का लेखापरीक्षित परिदृश्य प्रस्तुत करता है एवं विगत पांच वर्षों की अवधि का समग्र संघटकों को ध्यान में रखते हुए मुख्य राजकोषीय समूहों का विगत वर्ष की तुलना में समीक्षात्मक परिवर्तनों का विश्लेषण करता है।

[1] अस्थायी

यह विश्लेषण राज्य सरकार के वित एवं उसमें निहित सूचनाओं के आधार पर किया गया है। राज्य सरकार के लेखे की संरचना ***परिशिष्ट 1.2*** **भाग–क** और वित्त लेखे की रूपरेखा ***परिशिष्ट 1.2*** **भाग–ख** में दर्शाया गया है।

1.2 वर्तमान वर्ष के राजकोषीय लेन–देनों का सारांश

सारणी 1.1 में राज्य सरकार के विगत वर्ष 2010–11 की तुलना में वर्तमान वर्ष 2011–12 के राजकोषीय लेन–देनों का सारांश है तथा ***परिशिष्ट 1.3*** में वर्तमान वर्ष की प्राप्तियों एवं संवितरणों के साथ–साथ राजकोष की समग्र स्थिति प्रस्तुत है।

सारणी 1.1–राजकोषीय स्थिति का सारांश

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ			संवितरण							
	2010-11	2011-12		2010-11			2011-12			
भाग–अ										
मद	योग	योग	मद	आयोजनेत्तर	आयोजनागत	योग	आयोजनेत्तर	आयोजनागत	योग	
राजस्व प्राप्तियाँ	1,11,183.76	1,30,869.70	राजस्व व्यय	86,636.08	21,039.53	1,07,675.61	1,01,269.25	22,615.92	1,23,885.17	
कर राजस्व	41,109.85	52,613.43	सामान्य सेवायें	47,031.83	987.34	48,019.17	52,345.19	601.73	52,946.92	
करेतर राजस्व	11,176.21	10,145.30	सामाजिक सेवायें	23,737.14	15,829.56	39,566.70	29,781.35	17,609.59	47,390.94	
संघीय करों / शुल्कों का अंश	43,464.05	50,350.95	आर्थिक सेवायें	11,502.40	4222.63	15,725.03	13,887.61	4,404.60	18,292.21	
भारत सरकार से अनुदान	15,433.65	17,760.02[2]	सहायता अनुदान एवं अंशदान	4,364.71	-	4,364.71	5,255.10	-	5,255.10	
भाग–ब										
विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	-	-	पूंजीगत परिव्यय	**691.72**	**19581.08**	**20,272.80**	**838.86**	**20,735.10**	**21,573.96**	
ऋण एवं अग्रिमों की वसूली	**485.17**	**133.17**	ऋण एवं अग्रिमों का संवितरण	**350.94**	**617.28**	**968.22**	**561.09**	**414.48**	**975.57**	
लोक ऋण प्राप्तियाँ[3]	**21,394.08**	**19,652.30**	लोक ऋणों का पुनर्भुगतान	**7,383.08**	-	**7,383.08**	**8,287.61**	-	**8,287.61**	
आकस्मिकता निधि	-	**39.89**	आकस्मिकता निधि	**39.90**	-	**39.90**	**309.64**	-	**309.64**	
लोक लेखा प्राप्तियाँ	**1,27,649.22**	**1,38,449.36**	लोक लेखा संवितरण	**1,17,472.99**	-	**1,17,472.99**	**1,30,970.76**	-	**1,30,970.76**	
प्रारम्भिक अवशेष	**3,405.36**	**10,304.99**	अंतिम अवशेष	**10,304.99**	-	**10,304.99**	**13,446.70**	-	**13446.70**	
योग	**2,64,117.59**	**2,99,449.41**	योग	**2,22,879.70**	**41,237.89**	**2,64,117.59**	**2,55,683.91**	**43,765.50**	**2,99,449.41**	

स्रोतः वित्त लेखे

वर्ष 2011–12 की अवधि में विगत वर्ष की तुलना में निम्नलिखित महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए :

[2] इसमें केन्द्र पुरोनिधानित आयोजनागत योजनाओं की धनराशि ₹ 6,337.44 करोड़ सम्मिलित हैं।
[3] आर्थोपाय अग्रिम शुद्ध लेन–देन में सम्मिलित।

- **राजस्व प्राप्तियों** में विगत वर्ष की तुलना में ₹ 19,685.94 करोड़ (18 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई। यह वृद्धि मुख्यतः कर राजस्व (₹ 11,503.58 करोड़, 28 *प्रतिशत*) एवं केन्दीय करों में अंश (₹ 6,886.90 करोड, 16 *प्रतिशत*) के कारण थी। ***₹ 1,30,869.70 करोड़ की राजस्व प्राप्तियॉ ₹ 1,37,622.09 करोड़ के पुनरीक्षित अनुमान से ₹ 6,752.39 करोड़ कम थी।***

- **कर राजस्व** में विगत वर्ष की तुलना में ₹ 11,503.58 करोड़ (28 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई। इस वृद्धि में मुख्यतः बिक्री, व्यापार आदि करों (₹ 8,270 करोड; 33 *प्रतिशत*), राज्य उत्पाद शुल्क (₹ 1,416 करोड़; 21 *प्रतिशत*) एवं स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क (₹ 1,719 करोड़; 29 *प्रतिशत*) का विगत वर्ष के सापेक्ष हुई वृद्धियों में योगदान था। ***₹ 52,613 करोड़ का कर राजस्व तेरहवें वित आयोग द्वारा आंकलित ₹ 41,811 करोड़ की धनराशि से अधिक था।***

- **करेतर राजस्व** में विगत वर्ष के सापेक्ष ₹ 1,031 करोड़ (नौ *प्रतिशत*) की कमी हुई। ***यह तेरहवें वित्त आयोग द्वारा आंकलित (₹ 1,661 करोड़) एवं राज्य के पुनरीक्षित अनुमान (₹ 3,415 करोड़) से कम थी। यह कमी मुख्यतः विविध सामान्य सेवायें (₹ 1,085 करोड़; 21 प्रतिशत) और शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति (₹ 606 करोड़, 23 प्रतिशत) में हुई कमियों के कारण थी।***

- **भारत सरकार से सहायता अनुदान** में विगत वर्ष की तुलना में ₹ 2,326 करोड़ (15 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई। ***भारत सरकार से सहायता अनुदान की धनराशि ₹ 21,276 करोड़ की पुनरीक्षित अनुमान के सापेक्ष ₹ 17,760 करोड़ थी। वर्ष 2011–12 की अवधि में प्राप्त सहायता की कुल धनराशि ₹ 17,760 करोड़ में केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं की धनराशि ₹ 6,337 करोड़ भी सम्मिलित थी।***

- **केन्द्रीय करों और शुल्कों में राज्य के अंश** (₹ 50,351करोड़) में विगत वर्ष की तुलना में ₹ 6,887 करोड़ (16 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई। ***यद्यपि केन्द्रीय अंश पुनरीक्षित बजट अनुमान (₹ 51,920 करोड़) से ₹ 1,569 करोड़ कम था।***

- **राजस्व व्यय** में विगत वर्ष की तुलना में ₹ 16,209 करोड़ (15 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई, ***यद्यपि यह पुनरीक्षित अनुमान (₹ 1,29,646 करोड) से कम था।***

- **राजस्व व्यय के अन्तर्गत** आयोजनेतर व्यय में विगत वर्ष के सापेक्ष ₹ 14,633 करोड़ (17 *प्रतिशत*) एवं आयोजनागत व्यय में ₹ 1,576 करोड़ (सात *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई। ***आयोजनेतर व्यय, तेरहवें वित्त आयोग द्वारा आंकलित अनुमान से ₹ 36,848 करोड़ (57 प्रतिशत) अत्यधिक रूप से अधिक था।***

- **पूंजीगत व्यय में** विगत वर्ष के सापेक्ष ₹ 1,301 करोड़ (छः *प्रतिशत*) की वृद्धि ***मुख्यतः सामाजिक सेवाओं के अन्तर्गत जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और नगर विकास में पूंजीगत परिव्यय में वृद्धि होने के कारण थी।***

- **ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली में** विगत वर्ष की तुलना में ₹ 352 करोड़ (73 *प्रतिशत*) की कमी हुई ***जो बजट अनुमान (₹ 537 करोड़) के सापेक्ष ₹ 404 करोड़ (75 प्रतिशत) कम थी। ऋणों एवं अग्रिमों का संवितरण (₹ 976 करोड़) भी पुनरीक्षित बजट अनुमान (₹ 1,240 करोड़) से कम था।***

- विगत वर्ष की तुलना में **लोक ऋण प्राप्तियों में** ₹ 1,742 करोड़ (आठ *प्रतिशत*)

की कमी राज्य के ऋण प्रबंधन में सुधार दर्शाता है यद्यपि, विगत वर्ष के सापेक्ष पुनर्भुगतान में ₹ 905 करोड़ (12 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई।

- **लोक लेखों की प्राप्तियों में** विगत वर्ष की तुलना में ₹ 10,800 करोड़ (आठ *प्रतिशत*) की वृद्धि मुख्यतः उचंत एवं विविध शीर्षों के अवशेषों (₹ 13,491 करोड़, 18 *प्रतिशत*) में हुई वृद्धि के फलस्वरूप थी जो कि निक्षेपो और अग्रिमों (₹ 5,010 करोड, 32 *प्रतिशत*) में हुई कमी द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित थी ।

- **लोक लेखा संवितरण और आकास्मिक निधि से संवितरण में** विगत वर्ष की तुलना में ₹ 13,498 करोड़ (11 *प्रतिशत*) और ₹ 269.74 करोड़ (676 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई।

- वर्ष 2011–12 के अन्त में **नकद अवशेषों** (₹ 13,447 करोड़) में विगत वर्ष (₹ 10,305 करोड़) की तुलना में ₹ 3,142 करोड़ (30 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई।

1.3 राजकोषीय सुधार

उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुरूप वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम, फरवरी 2004 में पारित किया गया था जिसमें अर्थव्यवस्था के विकास एवं स्थिरता के लिए दीर्घकालीन लक्ष्यों का निर्धारण किया गया था। राजकोषीय स्थिरता एवं निरन्तरता, प्रचुर मात्रा में राजस्व आधिक्य प्राप्त करके सामाजिक एवं भौतिक ढांचा एवं मानव विकास में सुधार करके कार्यक्षेत्र में वृद्धि, राजकोषीय घाटे में कमी, राजकोषीय नीति के प्रभावी संचालन की रूकावटों को दूर करने, उधार की सीमा, शासकीय प्रतिभूति, ऋण एवं घाटा को सीमित करके राजकोषीय कार्यों में वृहत्तर पारदर्शिता एवं मध्यकालिक राजकोषीय ढांचा एवं उससे सम्बंधित कार्यों में कुशल ऋण प्रबंधन सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2004 लागू किया गया। राज्य सरकार का यह उत्तरदायित्व था कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के बजट के साथ मध्यकालिक राजकोषीय पुर्नसंरचना नीति विधान सभा में रखे जिसमें निर्धारित राजकोषीय सूचकों को पांच वर्षों में प्राप्त करने का परिवर्तनीय लक्ष्य निर्धारित हो एवं अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने हेतु नियम बनाये। अधिनियम को अक्टूबर 2006 में अधिसूचित किया गया। अधिनियम में प्रावधानित राजकोषीय सिद्धान्त को प्रभावी बनाने हेतु राज्य सरकार के लिए निम्नलिखित वित्तीय लक्ष्य निर्धारित किए गयेः–

- 1 अप्रैल 2004 से प्रारम्भ होने वाले और 31 मार्च 2009 को समाप्त होने वाले पांच वित्तीय वर्षों की अवधि के भीतर राजस्व घाटा शून्य पर लाया जाना।

- 31 मार्च 2009 तक राजकोषीय घाटे को प्राक्कलित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन *प्रतिशत* से अनधिक तक कम किया जाना। यद्यपि, अर्थव्यवस्था में व्यापक मन्दी को देखते हुये भारत सरकार ने राज्यों को उनका वित्तीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 4 *प्रतिशत* की सीमा तक बढ़ाने की अनुमति प्रदान की थी।

- 1 अप्रैल 2004 से प्रारम्भ होने वाले और 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले 14 वित्तीय वर्षों की अवधि के भीतर सुनिश्चित करना कि अन्तिम वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कुल दायित्व उस वर्ष के लिए प्राक्कलित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 25 *प्रतिशत* से अधिक न हो।

- सुनिश्चित करना कि इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के समय विद्यमान राज्य सरकार के किसी नियम या विधि या इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पश्चात राज्य सरकार द्वारा बनाये जाने वाले किसी नियम या विधि के अधीन नियत सीमा से अधिक किसी धनराशि के लिए प्रत्याभूति नहीं दी जाये।

- इसके अतिरिक्त, आन्तरिक गड़बड़ियों या दैवीय आपदाओं से उपजी अप्रत्याशित मांग को इस शर्त के साथ कि आपदा को प्रदान की गई वास्तविक राजकोषीय लागत से अधिक न हो, को छोड़कर, राजस्व घाटा और वित्तीय घाटा अधिनियम में निर्दिष्ट सीमा को नही लांघ सकता है।

तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसानुरूप राज्य सरकार ने अपने राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2004 में संशोधन किया तथा स्वयं के लिए वर्ष 2011–12 से वर्ष 2014–15 की अवधि में राजकोषीय सुदृढ़ीकरण पथ विकसित किया जिसका मुख्य उद्देश्य राजकोषीय घाटे को कम करना एवं धीरे–धीरे वर्ष 2014–15 तक ऋण के स्तरों में कमी लाना था। **सारणी 1.2** में विस्तृत विवरण दिया गया है।

सारणी 1.2 : राजकोषीय सुदृढ़ीकरण पथ

वर्ष	राजकोषीय घाटा	कुल देयता (*प्रतिशत* में)
2011-12	**सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3 *प्रतिशत* से अधिक नहीं**	46.9
2012-13	**सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3 *प्रतिशत* से अधिक नहीं**	45.1
2013-14	**सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3 *प्रतिशत* से अधिक नहीं**	43.4
2014-15	**सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3*प्रतिशत* से अधिक नहीं**	41.9

स्रोत : उत्तर प्रदेश सरकार की राजपत्रित अधिसूचना

यद्यपि उपर्युक्त निमितज्ञ सरकार की मध्यावधि राजकोषीय सहंवनीयता के लिए उपयुक्त है फिर भी, सम्भावित परिणाम लघु आर्थिक स्थिति द्वारा ही निरूपित होती है।

सारणी 1.3 में तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसानुरूप राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम द्वारा निर्धारित राजकोषीय लक्ष्य हेतु वर्ष 2011–12 की अवधि में राज्य का निष्पादन प्रदर्शित किया गया है।

सारणी 1.3 : वर्ष 2011–12 की अवधि में राज्य का निष्पादन

मुख्य राजकोषीय लक्ष्य	राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य	वास्तविक आकड़े (₹ करोड़ में)
राजस्व घाटा (–)/आधिक्य (+)	शून्य घाटा	(+) 6,984
राजकोषीय घाटा (–)/जी.एस.डी.पी.(*प्रतिशत*)	सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन *प्रतिशत* से अधिक नहीं अर्थात ₹ (-) 20,635 करोड़	(-) 15,433
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष कुल देयता	सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 46.9 *प्रतिशत* अर्थात ₹ 3,22,595 करोड़	2,43,229

स्रोत : उत्तर प्रदेश सरकार के राजपत्रित अधिसूचना

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि राज्य सरकार के पास राजस्व आधिक्य था एवं राजकोषीय घाटा तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष कुल देयताओं में कमी भी थी। इससे यह संकेतित है कि राजस्व, राजकोषीय घाटा एवं कुल देयताओं के संदर्भ में राज्य सरकार ने राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम द्वारा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है।

राज्य सरकार द्वारा यह सूचित (सितम्बर 2012) किया गया कि प्राप्तियों एवं व्ययों का नियमित अनुश्रवण किया गया जिससे कि यह सुनिश्चित हो सके कि उपरोक्त लक्ष्यों का उल्लघंन न हो।

1.4 बजट वर्ष 2011-12

1.4.1 पुनरीक्षित अनुमान

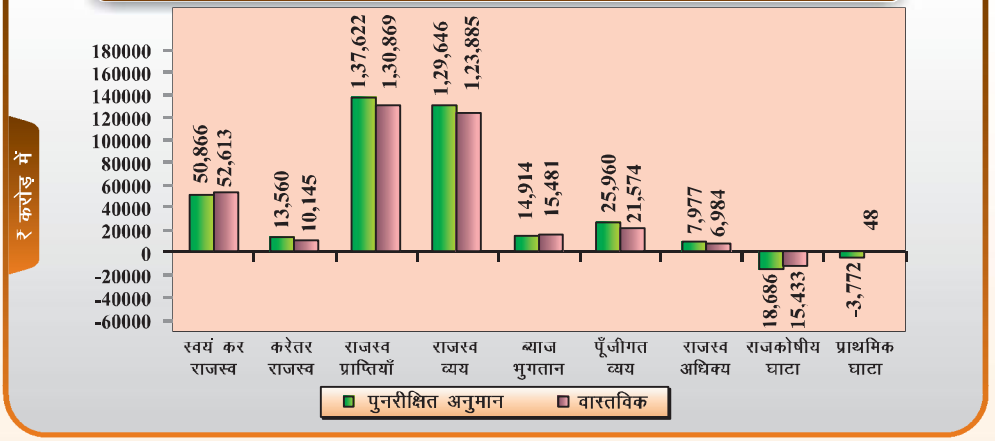
पुनरीक्षित अनुमान राज्य सरकार की नीति मानदण्डों की ओर इंगित करता है। राज्य सरकार का उद्देश्य राजस्व प्राप्तियों में मुख्यतः भारत सरकार से प्राप्त होने वाले संघीय करों/शुल्कों (₹ 73,196 करोड़) में राज्य के अंश में वृद्धि लाना तथा व्ययों में सामाजिक सेवाओं (राजस्व व्यय: ₹ 51,259 करोड़ एवं पूँजीगत व्यय: ₹ 6,835 करोड़) और कुछ सीमा तक आर्थिक सेवाओं (राजस्व व्यय: ₹ 20,291 करोड़ एवं पूँजीगत व्यय: ₹ 17,260 करोड़) की ओर केन्द्रित करना था। राज्य सरकार ने अपने बजट अनुमानों में राजकोष के अंतर्गत राजस्व आधिक्य और राजकोषीय एवं प्राथमिक घाटे का आंकलन किया था।

1.4.2 पुनरीक्षित अनुमान और वास्तविक आंकड़े

राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट, राजस्व और व्यय के एक वित्तीय वर्ष के अनुमानों का विवरण है। राजस्व और व्यय के अनुमानों में शुद्धता के महत्व को व्यापक रूप से समग्र आर्थिक प्रबन्धन हेतु राजकोषीय नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन के संदर्भ में स्वीकार किया जाता है। बजट अनुमानों से विचलन, प्राप्तियों एवं वांछित राजकोषीय उद्देश्यों को पूरा न कर पाने की ओर संकेत करते हैं। यह विचलन तथा राजकोषीय उद्देश्यों की पूर्ति न हो पाना या तो ऐसी घटनाओं के घटित होने जिसका कि पूर्व में अनुमान न किया जा सका हो अथवा बजट की तैयारियों के स्तर पर ही व्ययों/प्राप्तियों का कम/अधिक अनुमानित किया गया हों।

वर्ष 2011–12 के पुनरीक्षित बजट अनुमानों एवं कुछ महत्वपूर्ण राजकोषीय मानकों के वास्तविक आंकड़े **चार्ट 1.1 और परिशिष्ट 1.4** में दिए गये हैं।

चार्ट : 1.1 : चयनित राजकोषीय प्राचल : पुनरीक्षित अनुमान एवं वास्तविक स्थिति



स्रोत : बजट एवं वित्त लेखे

- वर्ष 2011–12 की अवधि में **वास्तविक राजस्व प्राप्तियाँ** (₹ 1,30,869 करोड़) पुनरीक्षित अनुमान (₹ 1,37,622 करोड़) से ₹ 6,752 करोड़ कम थी यद्यपि, वर्ष की अवधि में राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत **स्वयं के कर राजस्व** में पुनरीक्षित अनुमान

से ₹ 1,747 करोड़ (तीन *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई और **करेतर राजस्व** में ₹ 3,415 करोड़ (25 *प्रतिशत*) की कमी थी। **स्वयं के कर राजस्व** में वृद्धि, बिक्री, व्यापार आदि कर (₹ 1,543 करोड़, पांच *प्रतिशत*) एवं भू–राजस्व (₹ 245 करोड़, 100 *प्रतिशत*) में वृद्धियों के कारण हुई । वर्तमान वर्ष में पुनरीक्षित अनुमान के सापेक्ष **करेतर राजस्व** में कमी मुख्यतः अन्य करेतर राजस्व (₹ 2,485 करोड़) में कमी होने के कारण हुई ।

- वर्ष 2011–12 की अवधि में पुनरीक्षित बजट अनुमान के सापेक्ष **राजस्व व्ययों** में ₹ 5,760 करोड़ की कमी हुई । यह कमी विकास व्ययों (सामाजिक सेवाओं: ₹ 3,868 करोड़; आठ *प्रतिशत* एवं आर्थिक सेवाओं : ₹ 1,998 करोड़; 10 *प्रतिशत*) में पायी गई।

- **सामाजिक सेवाओं** के अंतर्गत कमी मुख्यतः शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति (₹ 1,869 करोड़) तथा सामाजिक कल्याण एवं पोषण (₹ 1,107 करोड़) में कम व्यय होने के कारण हुई। इसी प्रकार, **आर्थिक सेवाओं** के अंतर्गत कृषि एवं सम्बद्ध सेवाओं (₹ 850 करोड़) तथा सिंचाई बाढ़ नियंत्रण (₹ 792 करोड़) के व्यय में कमी तथा परिवहन मद के अंतर्गत ₹ 103 करोड़ के आधिक्य व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हुई है।

- वर्ष 2011–12 की अवधि में **ब्याज की अदायगी तथा ऋण सेवा** पर हुआ व्यय पुनरीक्षित बजट अनुमान ₹ 23,514 करोड़ से ₹ 594 करोड़ (तीन *प्रतिशत*) अधिक था।

- **पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में पूँजीगत व्यय** में ₹ 4,386 करोड़ (17 *प्रतिशत*) की कमी थी। यह कमी मुख्यतः सामाजिक सेवाओं में ₹ 1,648 करोड़ (24 *प्रतिशत*) तथा आर्थिक सेवाओं एवं सामान्य सेवाओं में क्रमशः ₹ 2,016 करोड़ (12 *प्रतिशत*) एवं ₹ 721 करोड़ (39 *प्रतिशत*) कम व्यय होने के कारण हुई।

- पुनरीक्षित अनुमान (₹ 7,977 करोड़) के सापेक्ष **राजस्व आधिक्य** ₹ 993 करोड़ (12 *प्रतिशत*) कम था, जबकि **राजकोषीय घाटे** में बजट अनुमान (₹ 18,686 करोड़) के सापेक्ष ₹ 3,253 करोड़ (17 *प्रतिशत*) का सुधार हुआ। साथ ही, पुनरीक्षित अनुमान के अनुसार ₹ 3,772 करोड़ का **प्राथमिक घाटा** ₹ 48 करोड़ के **प्राथमिक आधिक्य** में परिवर्तित हो गया ।

 चार्ट 1.1 से यह भी देखा जा सकता है कि वित्तीय वर्ष 2011–12 की अवधि में किये गये व्ययों का पैटर्न तैयार किये गये मूल बजट से भिन्न था। ***परिशिष्ट 1.4*** में वर्ष 2011–12 की अवधि में विभिन्न सेक्टरों/सब–सेक्टरों के अंतर्गत बजट अनुमान एवं उनके वास्तविक आकड़ों में व्यापक भिन्नता का विस्तृत विवरण दिया गया है।

1.4.3 तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अधीन प्राप्त अनुदान

राज्य सरकार के विभिन्न अंगों में सुधार हेतु तेरहवें वित्त आयोग ने राज्य सरकार हेतु अनुदानों की अनुशंसाएँ की थी। **सारणी 1.4** में कुछ अनुदानों की वित्तीय स्थिति दी गयी है।

सारणी 1.4: तेरहवें वित्त आयोग द्वारा दिये गये अनुदानों की वित्तीय स्थिति

(₹ करोड़ में)

अनुदान संख्या एवं नाम	धनराशि	स्थिति		
		अभ्यर्पण	बचत	योग
13 कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्रामीण विकास)	50.00	--	34.36	34.36
14 कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	992.77	--	55.87	55.87
37 नगर विकास विभाग	429.35	--	259.37	259.37
40 नियोजन विभाग	118.00	--	118.00	118.00
42 न्याय विभाग	106.11	81.16	-	81.16
58 लोक कार्य विभाग	62.50	--	62.50	62.50
92 संस्कृति विभाग	25.00	--	25.00	25.00
94 सिचांई विभाग (कार्य)	341.00		326.25	326.25
योग	**2,124.73**	**81.16**	**881.35**	**962.51**

स्रोत : वर्ष 2011–12 के विनियोग लेखे

इस प्रकार उपरोक्त **सारणी 1.4** से यह देखा जा सकता है कि तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा (₹ 2,124,73 करोड़) के अधीन राज्य सरकार द्वारा प्राप्त किये गये अनुदानों की कुछ धनराशियाँ, जिसका कि बजट में प्रावधान किया गया था, में से ₹ 962.51 करोड़ की धनराशि जो कि कुल धनराशि का 45 *प्रतिशत* है, या तो राज्य सरकार को अभ्यर्पित (₹ 81.16 करोड़) की गयी थी अथवा वित्तीय वर्ष 2011–12 की समाप्ति पर सरकार के लेखे में व्यपगत (₹ 881.35 करोड़) हो गयी थी।

1.5 राज्य के संसाधन

1.5.1 *वार्षिक वित्त लेखे के अनुसार राज्य के संसाधन*

राज्य सरकार के संसाधनों के अंतर्गत दो स्रोत राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियाँ हैं। राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत कर राजस्व, करेतर राजस्व, राज्यों के संघीय करों एवं शुल्क तथा भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान सम्मिलित होते हैं। पूँजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत प्रकीर्ण पूंजीगत प्राप्तियां तथा विनिवेशों से प्राप्तियां, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली, आंतरिक स्रोतों (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थाओं/वाणिज्यिक बैंकों से उधार) से ऋण प्राप्तियां एवं भारत सरकार से प्राप्त ऋणों एवं अग्रिमों के साथ ही साथ लोक लेखे से उपार्जित प्राप्तियां सम्मिलित हैं।

सारणी 1.5 और **चार्ट 1.2** वर्ष 2007–12 की अवधि में प्राप्तियों के विभिन्न घटकों की प्रवृत्ति तथा **चार्ट 1.3** वर्ष 2011–12 की अवधि में राज्य के संसाधनों के संघटकों को प्रदर्शित करता है।

सारणी 1.5: विकास में रुझान और कुल प्राप्तियों की संरचना

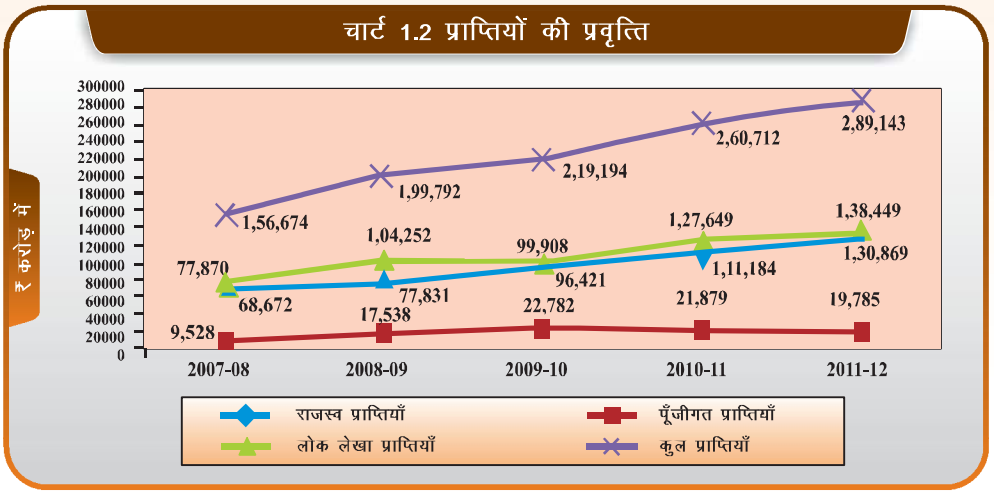
(₹ करोड़ में)

राज्य की प्राप्तियों के स्रोत	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
I राजस्व प्राप्तियां	**68,672**	**77,831**	**96,421**	**1,11,184**	**1,30,869**
II पूंजीगत प्राप्तियां	**9528**	**17,538**	**22,782**	**21,879**	**19,785**
ऋण एवं अग्रिमों की अदायगी	449	778	293	485	133
लोक ऋण प्राप्तियां	9,079	16,760	22,489	21,394	19,652
ऋण पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर	(-) 22	85	34	(-)5	-8
बिना ऋण पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर	26	73	(-) 62	66	-73
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर	14.37	15.27	19.20	19.78	16.89
III आकस्मिकता निधि	**604**	**171**	**83**	**-**	**40**

IV लोक लेखा प्राप्तियां	**77,870**	**1,04,252**	**99,908**	**1,27,649**	**1,38,449**
अ–लघु बचतें एवं लोक लेखा, इत्यादि	5,312	6,511	8,156	9,857	9,539
ब–आरक्षित निधियां	4,019	3,628	5,825	8,577	10,255
स–जमा तथा अग्रिम	19,450	22,656	17,260	15,560	10,551
द–उचन्त एवं विविध	35,808	52,278	40,084	75,907	89,398
य–प्रेषण	13,281	19,179	28,583	17,748	18,706
V कुल प्राप्तियां	**1,56,674**	**1,99,792**	**2,19,194**	**2,60,712**	**2,89,143**

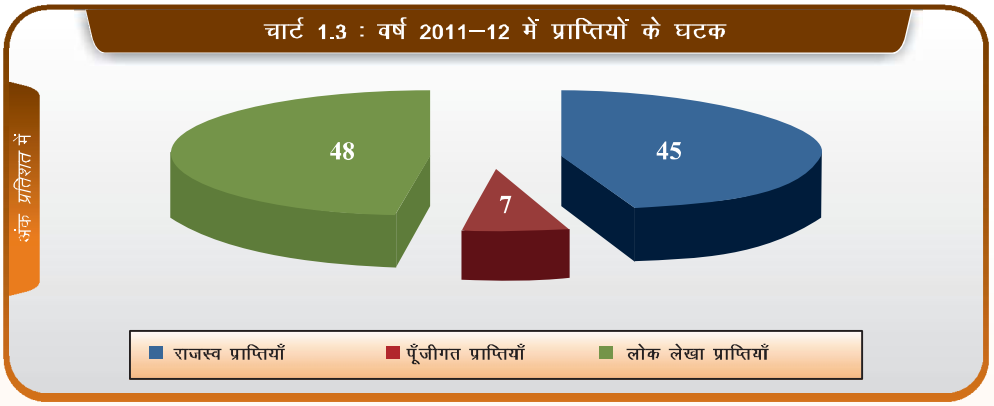
स्रोत : वित्त लेखे

चार्ट 1.2 प्राप्तियों की प्रवृत्ति



स्रोत : वित्त लेखे

चार्ट 1.3 : वर्ष 2011–12 में प्राप्तियों के घटक



स्रोत : वित्त लेखे

वर्ष 2011–12 की अवधि में राज्य सरकार की कुल प्राप्तियाँ ₹ 2,89,143 करोड़ थी। इन कुल प्राप्तियों में ₹ 1,30,869 करोड़ राजस्व प्राप्तियाँ, ₹ 19,785 करोड़ पूँजीगत प्राप्तियाँ, ₹ 40 करोड़ आकस्मिक निधि प्राप्तियाँ और शेष ₹ 1,38,449 करोड़ लोक लेखा प्राप्तियाँ थी । पुनः राज्य की कुल प्राप्तियों में ₹ 1,32,469 करोड़ (85 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई जोकि वर्ष 2007–08 की प्राप्तियों की धनराशि ₹ 1,56,674 करोड़ के स्तर से बढ़कर वर्ष 2011–12 में ₹ 2,89,143 करोड़ हो गयी, जिसमें इस समयावधि में राजस्व प्राप्तियों में 91 *प्रतिशत*, पूँजीगत प्राप्तियों में 108 *प्रतिशत* एवं लोक लेखा प्राप्तियों में 78 *प्रतिशत* की वृद्धियाँ हुई। ₹ 1,38,449 करोड़ की वृद्धि में मुख्यतः ₹ 62,197 करोड़ की राजस्व प्राप्तियों की धनराशि एवं लोक लेखा प्राप्तियों की ₹ 60,579 करोड़ की धनराशि शामिल थी।

राज्य सरकार की कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियों का 45 *प्रतिशत* अंश था, जबकि लोक लेखा प्राप्तियों का 48 *प्रतिशत* और पूँजीगत प्राप्तियों का सात *प्रतिशत* अंश था। ₹ 40 करोड़ की अल्प धनराशि आकस्मिकता निधि से प्राप्त किया गया था।

पूँजीगत प्राप्तियो के अंतर्गत पूँजीगत ऋण प्राप्तियों की वृद्धि दर वर्ष 2007–08 के (ऋणात्मक) 22 *प्रतिशत* से घटकर वर्ष 2011–12 में (ऋणात्मक) आठ *प्रतिशत* हो गयी। इसके अतिरिक्त, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली भी वर्ष 2007–08 के ₹ 449 करोड़ के स्तर से घटकर वर्ष 2011–12 में ₹ 133 करोड़ के स्तर पर हो गयी। लोक लेखा प्राप्तियों के अंतर्गत उचन्त और विविध प्राप्तियों में 150 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई। गैर–ऋण पूँजीगत प्राप्तियों का विकास दर विगत वर्ष के 66 प्रतिशत से घटकर वर्तमान वर्ष में (ऋणात्मक) 73 *प्रतिशत* हो गया ।

1.5.2 राज्य बजट से इतर राज्य क्रियान्वयन अभिकरणों को हस्तान्तरित धनराशियाँ

भारत सरकार द्वारा विभिन्न परियोजनाओं/कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु राज्य क्रियान्वयन अभिकरणों[4] को सीधे धनराशियाँ हस्तान्तरित की जाती है। चूंकि ये धनराशियाँ राज्य बजट/राज्य कोषागार प्रणाली के माध्यम से हस्तान्तरित नहीं होती है, जिससे कि वार्षिक वित्त लेखे में इनका लेखा–जोखा सीधे समाहित नहीं होता है। इसलिए राज्य प्राप्तियों/व्ययों तथा अन्य राजकोषीय मापकों को कम आकलित किया गया है। भारत सरकार द्वारा राज्य क्रियान्व्यन अभिकरणों को सीधे हस्तांरित धनराशियों के साथ उनके उपभोग में कमियों से बचने हेतु उपयुक्त नियत्रंण–तंत्र की आवश्यकता है, जिसकी अनुपस्थिति में राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम द्वारा राजकोषीय प्रचालन एवं जवाबदेही में आवश्यक पारदर्शिता पर दुष्प्रभाव पड़ेगा।

भारत सरकार द्वारा राज्य क्रियान्वयन अभिकरणों को सीधे हस्तान्तरित की गई धनराशियों की स्थिति **सारणी 1.6** में प्रस्तुत है।

सारणी 1.6: राज्य क्रियान्वयन अभिकरणों को सीधे हस्तान्तरित धनराशियाँ

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	कार्यक्रम/परियोजना	राज्य में क्रियान्वयन अभिकरण	2010-11	2011-12
1	महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	ग्राम विकास आयुक्त	5,266.59	4,240.48
2	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	उ. प्र. ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण,लखनऊ	1,278.83	213.77
3	सर्व शिक्षा अभियान	निदेशक, उत्तर प्रदेश सभी के लिए शिक्षा परियोजना बोर्ड	3,104.63	2,097.33
4	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	निदेशक, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	1,691.21	505.90
5	ग्रामीण आवास इंदिरा आवास योजना	ग्राम विकास आयुक्त, लखनऊ	1,151.00	1,680.43
6	ग्रामीण पेयजल– त्वरित पेयजल आपूर्ति योजना	प्रबंध निदेशक उ. प्र. जल निगम, लखनऊ	421.60	802.32

[4] राज्य क्रियान्वयन अभिकरण में सम्मिलित संगठन/संस्था या स्वयं सेवी संस्थाएं जिसे राज्य सरकार के द्वारा राज्य के विशेष कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु केन्द्र सरकार से धनराशियों की प्राप्ति हेतु प्राधिकृत किया गया हो। उदाहरणस्वरुप–राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के क्रियान्वयन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी, लखनऊ।

7	स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना	ग्राम विकास आयुक्त, लखनऊ	222.33	271.78
8	सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम	जिलाधिकारी	207.00	276.00
9	एकीकृत जल प्रबंधन कार्यक्रम	जिला ग्राम्य विकास अभिकरण	151.73	168.91
10	सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान	निदेशक, पंचायती राज संस्थान, लखनऊ	225.94	169.20
11	स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना	राजकीय शहरी विकास अभिकरण,उ0प्र0	73.24	57.73
12	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण प्रशासन	ग्राम विकास आयुक्त, लखनऊ	43.18	63.26
13	हथकरघा	निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्र	0.61	0.04
14	शोध एवं विकास समर्थन	विभिन्न सांविधिक निकाय आदि, जैसे आई.आई.टी. कानपुर, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	477.54	26.53
15	एकीकृत तेलहन,दाल,मक्का विकास	विभिन्न सरकारी स्वायत्त निकाय	5.17	6.67
16	औषधीय पौधे	सरकारी स्वायत्त निकाय	5.08	1.80
17	समाजिक आर्थिक विकास हेतु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्यक्रम	समुदाय अनुप्रयुक्त विज्ञान हेतु स्वैच्छिक संस्थान	5.60	85.38
18	नैनो विज्ञान एवं नैनो प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय अभियान	इलाहाबाद विश्वविद्यालय	15.34	6.31
19	प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम	कृषि–वन हेतु राष्ट्रीय शोध केन्द्र	0.47	5.28
20	अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	केन्द्रीय एवं राजकीय सांविधिक निकाय,पी.एस.यू. आदि	0.37	1.71
21	पंचायती राज संस्थानों स्वैच्छिक संगठन स्वमदद हेतु सहायता	विभिन्न गैर सरकारी संगठन जैसे शहीद स्मारक समिति	0.98	1.68
		योग	**14,348.44**	**10,682.51**

स्रोत : वित्त लेखे

यद्यपि विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा राज्य क्रियान्वयन अभिकरणों को सीधे हस्तांतरित धनराशि में विगत वर्ष के सापेक्ष वर्तमान वर्ष में 26 *प्रतिशत* की कमी आयी है, फिर भी बड़ी मात्रा में धनराशियाँ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (कुल हस्तांतरित धनराशि का 40 *प्रतिशत*), सर्व शिक्षा अभियान (कुल हस्तांतरित धनराशि का 20 *प्रतिशत*) और इंदिरा आवास योजना (कुल हस्तांतरित धनराशि का 16 *प्रतिशत*) के अंतर्गत हस्तांतरित की गयी थी।

विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2011–12 की अवधि में महत्वपूर्ण कमियाँ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत ₹ 1,026.11 करोड़ (19 *प्रतिशत*), प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत ₹ 1,065.06 करोड़ (83 *प्रतिशत*), सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ₹ 1,007.30 करोड़ (32 *प्रतिशत*) एवं राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत ₹ 1,185.31 करोड़ (*70 प्रतिशत*) पायी गयी। इसी प्रकार, विगत वर्ष के सापेक्ष वर्ष 2011–12 में महत्वपूर्ण वृद्धियाँ, इंदिरा आवास योजना के अतंर्गत ₹ 529.43 करोड़ (46 *प्रतिशत*) और त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति योजना के अंतर्गत ₹ 380.72 करोड़ (90 *प्रतिशत*) हुई ।

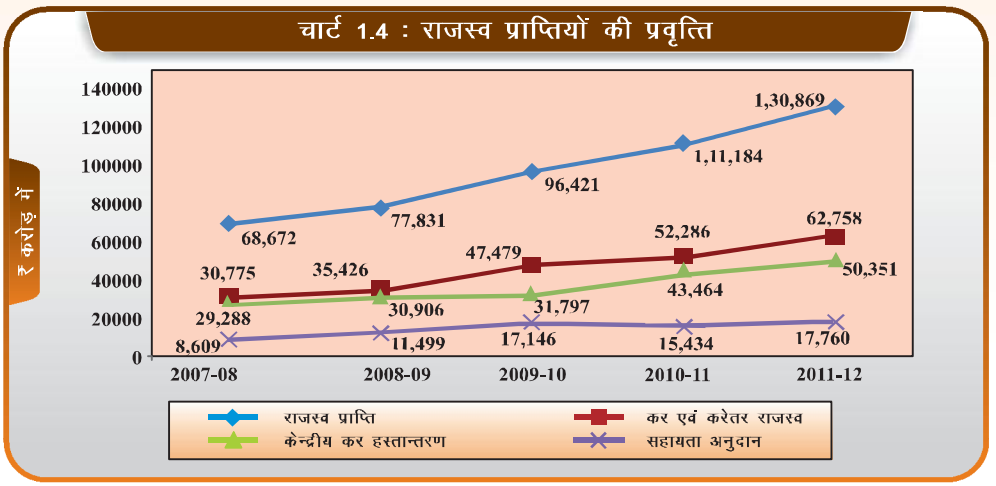
1.6 राजस्व प्राप्तियाँ

राजस्व प्राप्तियों में राज्य के स्वयं के कर एवं करेतर राजस्व, केन्द्रीय कर हस्तान्तरण तथा भारत सरकार के सहायता अनुदान सम्मिलित हैं। वित्त लेखे के **विवरण–11** में राज्य सरकार के राजस्व प्राप्तियों को विस्तृत रूप से दर्शाया गया है।

1.6.1 राजस्व प्राप्तियाँ एवं संघटक

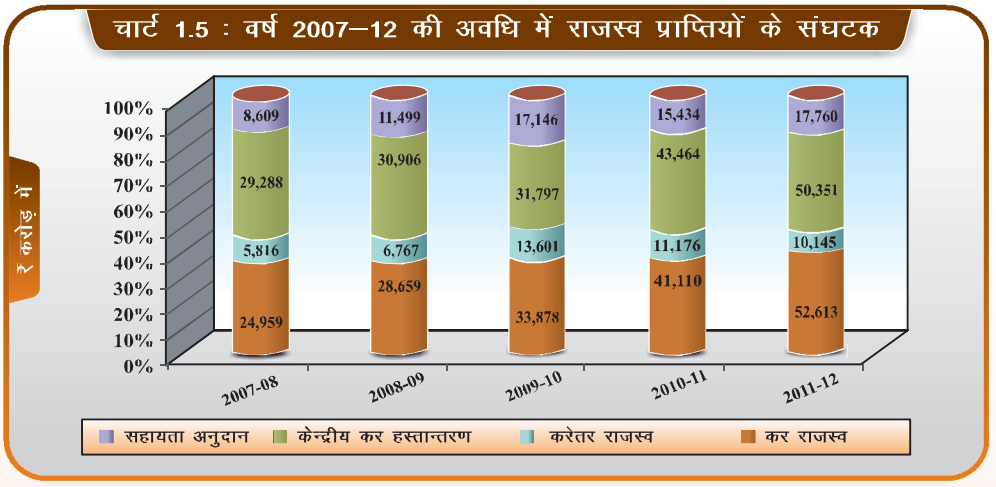
वर्ष 2007–12 की अवधि में राजस्व प्राप्तियों, उनकी प्रवृत्तियों एवं संघटकों का विवरण क्रमशः ***परिशिष्ट 1.5*** एवं **चार्ट 1.4** तथा **1.5** में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.4 : राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति



स्रोत : वित्त लेखे

चार्ट 1.5 : वर्ष 2007–12 की अवधि में राजस्व प्राप्तियों के संघटक



स्रोत : वित्त लेखे

सामान्य प्रवृत्तियाँ

- विगत वर्ष के सापेक्ष वर्ष 2011–12 की अवधि में राज्य की राजस्व प्राप्तियों में ₹ 19,685 करोड़ की वृद्धि हुई । वर्ष 2007–08 की अवधि में प्राप्तियाँ अनवरत रूप से ₹ 68,672 करोड़ से बढ़कर ₹ 1,30,869 करोड़ हो गयी ।
- वर्ष 2011–12 की अवधि में 48 प्रतिशत राजस्व स्वयं के स्रोत और शेष भारत सरकार के संघीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश (38 *प्रतिशत*) तथा सहायता अनुदान (14 *प्रतिशत*) से प्राप्त हुए।

- वर्ष 2011–12 की अवधि में राज्य के स्वयं के करों के अंतर्गत कर राजस्व एवं करेतर राजस्व क्रमशः 84 *प्रतिशत* एवं 16 *प्रतिशत* थे।
- ₹ 1,30,869 करोड़ की कुल राजस्व प्राप्तियाँ वर्ष 2011–12 में सरकार द्वारा पुनरीक्षित बजट अनुमान (₹ 1,37,622 करोड़) से ₹ 6,752 करोड़ (पांच *प्रतिशत*) कम थी।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में राजस्व प्राप्ति की प्रवृत्तियाँ **सारणी 1.7** में प्रस्तुत की गई है।

सारणी 1.7 : सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
राजस्व प्राप्तियाँ (₹ करोड़ में)	68,672	77,831	96,421	1,11,184	1,30,869
राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर (*प्रतिशत* में)	13.32	13.34	23.89	15.31	17.70
राजस्व प्राप्तियां/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (*प्रतिशत* में)	19.21	18.88	19.63	18.89	19.03
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावकता	0.927	0.874	1.244	0.774	1.048
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राज्य के स्वयं के कर की उत्प्लावकता	0.594	0.971	0.948	1.079	1.657
राज्य के स्वयं के कर के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावकता	1.562	0.901	1.312	0.717	0.633
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	**3,57,557**	**4,12,151**	**4,91,302**	**5,88,467**	**6,87,836**
सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर (*प्रतिशत*)	14.37	15.27	19.20	19.78	16.89

स्रोतः 2011–12 में उत्तर प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण

आदर्श रुप से राजस्व की वृद्धि दर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर से अधिक होनी चाहिये जिससे कि समयोपरि बजट उचित रूप से संतुलित किया जा सके। सारणी के विश्लेषण में निम्नलिखित बाते सामने आयी :

- विगत वर्ष के सापेक्ष वर्तमान वर्ष में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावनता में सुधार हुआ। वर्ष 2009–10 और वर्ष 2011–12 की अवधि में राजस्व प्राप्तियों की विकास दर तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद की विकास दर में समानता थी। हालांकि, वर्ष 2007–08, 2008–09 और 2010–11 की अवधि में उत्प्लावनता में हुई वृद्धि सकल राज्य घरेलू उत्पाद में हुई वृद्धि के समानुपातिक नहीं थी।
- विगत वर्ष के सापेक्ष वर्तमान वर्ष में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राज्य के स्वयं के कर उत्प्लावनता में मामूली सुधार हुआ।

सहायता अनुदान

भारत सरकार से वर्ष 2010–11 में प्राप्त सहायता अनुदान ₹ 15,433.65 करोड़ से बढ़कर (15 *प्रतिशत*) वर्ष 2011–12 में ₹ 17,760.02 करोड़ हो गया **(सारणी 1.8)**। यह बढ़त मुख्यतः आयोजनेतर अनुदानों (₹ 1,303.74 करोड़) तत्पश्चात् केन्द्रीय पुरोनिधानित आयोजनागत योजनाओं (₹ 1,204.01 करोड़) के अंतर्गत थी तथा कमी केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं हेतु अनुदान (₹ 222.71 करोड़) के अंतर्गत थी। भारत सरकार से संघटकवार प्राप्त सहायता अनुदान **सारणी 1.8** में दी गयी है।

सारणी 1.8 : भारत सरकार से सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
आयोजनेत्तर अनुदान	2,894.42	3,142.62	3,947.97	3,092.99	4,396.73
राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान (₹ 0-12 करोड़ से कम अनुदान सहित)	2,795.49	5,195.76	5,624.02	6,772.07	6,813.40
केन्द्र आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	261.90	235.36	3,992.43	435.16	212.45
केन्द्र प्रायोजित आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	2,657.59	2,923.25	3,576.82	5,133.43	6,337.44
योग	**8,609.40**	**11,496.99**	**17,141.24**	**15,433.65**	**17,760.02**
विगत वर्ष की तुलना *प्रतिशत* वृद्धि	9.67	33.54	49.09	(-) 9.96	15.07

स्रोतः वित्त लेखे

विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि आयोजनेतर अनुदान के अंतर्गत प्राप्त अनुदानों में वृद्धि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के प्रावधान तथा विशेष समस्याओं के लिए अनुदान (₹ 169 करोड़) के अधीन थी।

केन्द्रीय कर हस्तान्तरण

केन्द्रीय कर हस्तान्तरण वर्ष 2007–08 के ₹ 29,288 करोड़ से बढ़कर (72 *प्रतिशत*) वर्ष 2011–12 में ₹ 50,351 करोड़ हो गया। यह बढ़त मुख्यतः कारपोरेशन टैक्स (₹10,524 करोड़; 113 *प्रतिशत*), कारपोरेशन टैक्स से इतर करों से आय (₹ 3,828 करोड़; 61 *प्रतिशत*),सीमा शुल्क (₹ 3,194 करोड़; 58 *प्रतिशत*) एवं सेवा कर (₹ 3,085 करोड़; 105 *प्रतिशत*) प्राप्तियों की मदों के अंतर्गत थी।

1.6.2 राज्य के स्वयं के संसाधन

वर्ष 2007–12 की अवधि में प्रमुख करों एवं शुल्कों के साथ–साथ करेतर राजस्व की प्राप्तियों का सकल संग्रह ***परिशिष्ट 1.6*** में दिया गया है। स्वयं के संसाधन वर्ष 2007–08 के ₹ 30,775 करोड़ से बढ़कर (77 *प्रतिशत*) वर्ष 2011–12 में ₹ 62,758 करोड़ हो गये। वर्ष 2011–12 की अवधि में राजस्व प्राप्तियों के अन्तर्गत प्रमुख करों एवं शुल्कों तथा करेतर प्राप्तियों का सकल संग्रह क्रमशः 40 और आठ *प्रतिशत* था।

सारणी 1.9 में 2011–12 की अवधि की वास्तविक राजस्व प्राप्तियों की तुलना तेरहवें वित्त आयोग एवं राज्य सरकार के पुनरीक्षित अनुमानों से की गयी है।

सारणी 1.9: तेरहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित और राज्य द्वारा पुनरीक्षित अनुमान के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

मूल राजकोषीय चर	तेरहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित	2011–12 के लिए सरकार द्वारा पुनरीक्षित अनुमान	वास्तविक आँकड़े	विचलन आधिक्य (+) एवं कमी (–)	
				तेरहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित	2011–12 के लिए सरकार द्वारा पुनरीक्षित अनुमान
				प्रतिशत कोष्ठक में	
राज्य का स्वयं का राजस्व कर	41,811.11	50,866.44	52,613.43	(+) 10,802.32 (25.84)	(+) 1,746.99 (3.43)
करेतर राजस्व	8,483.95	13,559.81	10,145.30	(+) 1,661.35 (19.58)	(-) 3,414.51 (25.18)

स्रोतः तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसाएँ, राज्य बजट एवं वित्त लेखे

राज्य के स्वयं के कर में वर्ष 2011–12 की अवधि में तेरहवें वित्त आयोग के अनुमान से ₹ 10,802.32 करोड़ (26 *प्रतिशत*) तथा पुनरीक्षित बजट अनुमान से ₹ 1,747 करोड़ (तीन *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई।

यद्यपि तेरहवें वित्त आयोग के अनुमानों की तुलना में करेतर राजस्व में महत्वपूर्ण सुधार हुआ फिर भी यह राज्य सरकार के पुनरीक्षित अनुमानों को प्राप्त करने में विफल रहा।

कर राजस्व

कर राजस्व के अंतर्गत बिक्री–कर, व्यापार–कर, राज्य उत्पाद कर, वाहनों पर कर, स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क इत्यादि शामिल है। वर्ष 2007–12 की पांच वर्ष की अवधि के कर राजस्व के घटक **सारणी 1.10** और **चार्ट 1.6** में दर्शाये गये हैं।

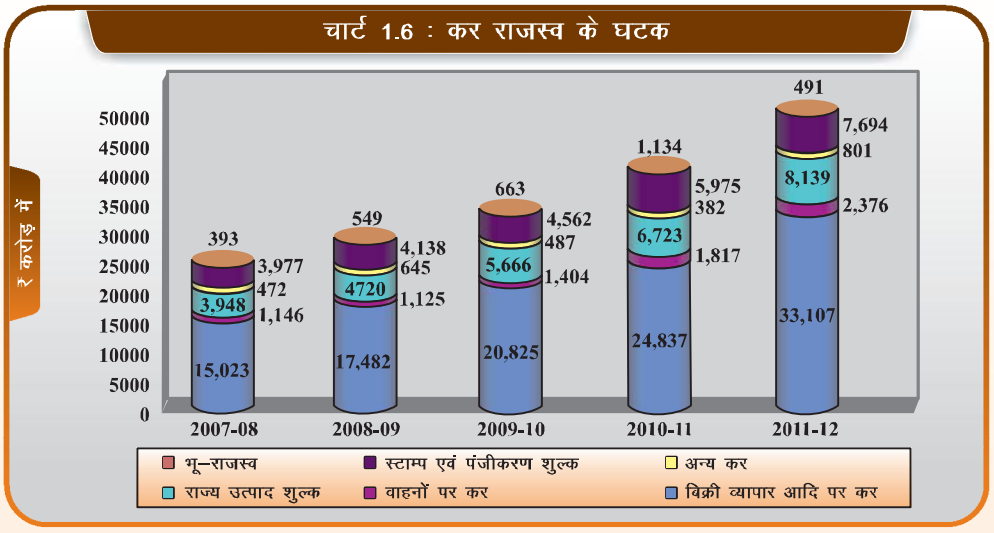
सारणी 1.10 : कर राजस्व के घटक

(₹ करोड़ में)

राजस्व के घटक	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12		
					पुनरीक्षित अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान की तुलना में प्रतिशत
बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	15,023	17,482	20,825	24,837	31,564	33,107	104.89
राज्य उत्पाद	3,948	4,720	5,666	6,723	8253	8,139	98.62
वाहनों पर कर	1,146	1,125	1,404	1,817	2536	2,376	93.69
स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क	3,977	4,138	4,562	5,975	7629	7,694	100.85
भू–राजस्व	393	549	663	1,134	246	491	195.59
माल एवं यात्री पर कर	110	266	271	242	-	5	500.00
अन्य कर	362	379	487	382	638	801	125.55
योग	**24,959**	**28,659**	**33,878**	**41,110**	**50,866**	**52,613**	**103.43**

स्रोतः वित्त लेखे एवं राज्य बजट

चार्ट 1.6 : कर राजस्व के घटक



स्रोतः वित्त लेखे

वर्ष 2011–12 की अविध में राज्य की कर राजस्व की वसूली महत्वपूर्ण थी। वर्ष 2011–12 के पुनरीक्षित अनुमानों के सापेक्ष वास्तविक आँकड़ों में उल्लेखनीय वृद्धि थी। यह वृद्धि वर्ष

2010–11 में भी थी। पुनरीक्षित अनुमानों से तुलना करने पर सम्पूर्ण वृद्धि की राशि ₹ 1,747 करोड़ थी और पिछले वर्ष से तुलना करने पर वृद्धि की राशि ₹ 11,503 करोड़ (28 *प्रतिशत*) थी। यह वृद्धि मुख्यतः बिक्री कर की राशि का ज्यादा संग्रहण, देशी और विदेशी मदिरा पर राज्य उत्पाद शुल्क की अधिक वसूली, मोटर वाहनों की बिक्रियों पर करों की वसूली तथा मोटर वाहन अधिनियम के अधीन वाहनों पर कर और ज्यादा गैर न्यायिक स्टाम्पों की बिक्री के कारण हुई। वृद्धि आंशिक रूप से स्थित प्रभार के राजस्व संग्रहण में कमी और सुधार न्यास, गाजियाबाद और आवासन बोर्ड से बकाया की वसूली से प्रतिसंतुलित हुई ।

करेतर राजस्व

राज्य सरकार को करेतर राजस्व मुख्यतः शिक्षा, ऊर्जा, ब्याज, वानिकी एवं वन्य जीवन, उद्योग, चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य, सिंचाई, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध क्रियाकलापों से प्राप्त होता है।

विगत वर्ष के सापेक्ष वर्ष 2011–12 में करेतर राजस्व में ₹ 10,145.30 करोड़ की प्राप्तियाँ हुई। यह प्राप्तियां मुख्यतः विविध सामान्य सेवाओं ₹ 4,035 करोड़ (40 *प्रतिशत*), शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति ₹ 2,009 करोड़ (20 *प्रतिशत*), अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग ₹ 593 करोड (6*प्रतिशत*), ब्याज ₹ 789 करोड़ (8 *प्रतिशत*), चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य ₹ 108 करोड़ (एक *प्रतिशत*) तथा ऊर्जा ₹ 77 करोड़ (एक *प्रतिशत*) से हुईं।

यद्यपि करेतर राजस्व की प्राप्तियों में वर्ष 2011–12 की अवधि में नौ *प्रतिशत* की महत्वपूर्ण कमी हुई। प्राप्तियों में कमी होने का कारण ''अन्य प्राप्तियो'' तथा विविध सामान्य सेवाओं (प्रारम्भिक शिक्षा) में राजस्व के संग्रहण में कमी होना था।

बजट अनुमानों के सापेक्ष राज्य के करेतर राजस्व

वर्ष 2011–12 की अवधि में पुनरीक्षित बजट अनुमानों के सापेक्ष राज्य के करेतर राजस्व **सारणी 1.11** में प्रस्तुत है।

सारणी 1.11 : पुनरीक्षित बजट के सापेक्ष करेतर राजस्व

(₹ करोड़ में)

विवरण	पुनरीक्षित अनुमान में निर्धारण	वास्तविक प्राप्ति	विचलन (आधिक्य + एवं कमी –) कोष्ठक में *प्रतिशत*
ब्याज प्राप्तियाँ	924.55	789.22	-135.33 (15)
विविध सामान्य सेवाएं	4,522.75	4,035.23	-487.52 (11)
शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति	4,500.00	2,008.55	-2,491.45 (55)
चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	142.40	107.93	-34.47 (24)
ऊर्जा	180.00	76.83	-103.17 (57)
अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग	900.00	593.28	-306.72 (34)

स्रोतः राज्य बजट और वित्त लेखे

वर्ष 2011–12 की अवधि में पुनरीक्षित अनुमानों के सापेक्ष करेतर राजस्व के अन्तर्गत विविध सामान्य सेवाओं, अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग, चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य, शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति, ब्याज प्राप्तियां तथा ऊर्जा से प्राप्तियों में कमी आयी। यह कमी 11 से 57 *प्रतिशत* के मध्य थी।

पुनरीक्षित बजट अनुमानों और वास्तविक प्राप्तियों के बीच व्यापक अंतर बजट तैयार करते समय किये गये अनुमानों के गलत होने का संकेत देते हैं।

विगत वर्ष के सापेक्ष वर्तमान वर्ष में करेतर राजस्व में कमी और पुनरीक्षित बजट अनुमान यह इंगित करता है कि राज्य सरकार के लिये यह आवश्यक है कि वह एक टिकाऊ प्रगति एवं मध्यम अवधि के माइक्रो इकोनामिक प्रासपेक्ट्स के लिये करेतर राजस्व के स्रोतों का पता लगाए।

करेतर राजस्व के तौर पर परियोजना लागत के अंश का पुस्तकीय समायोजन

निष्पादित होने वाली परियोजना लागत प्रभाजन को नियंत्रित करने हेतु वित्त विभाग द्वारा मार्च 2010 में एक आदेश जारी किया गया था जिसके अनुसार योजना की स्वीकृत लागत का 93.125 *प्रतिशत* कार्यो के कार्यान्वयन के लिए जारी किया जाना था तथा शेष 6.875 *प्रतिशत* (स्थापना पर व्यय) को सम्बन्धित विभाग के प्राप्त लेखा शीर्षो के अंतर्गत पुस्तकीय समायोजन द्वारा करेतर राजस्व के तौर पर जमा किया जाना था। अप्रैल 2010 में उपरोक्त आदेश में परिवर्तन किया गया जिसके अनुसार परियोजना लागत में 6.875 *प्रतिशत* जोड़कर स्वीकृति को जारी किया जाना था। इस प्रकार, यदि परियोजना लागत ₹ 100 थी, तब वित्तीय स्वीकृति ₹ 106.875 की प्रदान की जानी थी।

हमने यह पाया कि वर्ष 2010–11 के सापेक्ष वर्ष 2011–12 की अवधि में लोक निर्माण विभाग में 1054 सड़के एवं सेतु–800 अन्य प्राप्तियाँ–05–प्राप्तियाँ और 0059–लोक निर्माण विभाग–800–सामान्य–103–वसूली प्रभार की *प्रतिशतता* आदि शीर्षो के अंतर्गत करेतर राजस्व प्राप्तियों में ₹ 4.97 करोड़ की वृद्धि हुई थी।

टिप्पणी के प्रकरण को राज्य सरकार के पास भेजा गया (सितम्बर 2012); उत्तर प्रतीक्षित था। (नवम्बर 2012)।

1.6.3 कम कर/करों की उगाही न होना

वर्ष 2011–12 की अवधि में वाणिज्यिक कर कार्यालय द्वारा किये गये करो के मूल्यांकन तथा अन्य अभिलेखों की नमूना जांच में यह पाया कि 2,451 प्रकरण कम करों की उगाही अथवा करों की उगाही न किए जाने से संबंधित थे जोकि वस्तुओं के गलत वर्गीकरण, गलत दरों से करों का निर्धारण तथा अनियमित छूट इत्यादि कारणों से थे जैसा कि **सारणी 1.12** में दिया गया है।

सारणी 1.12 : कम कर या करों की उगाही न किया जाना

क्र0 सं0	वर्गीकरण	प्रकरणों की संख्या	धनराशि (₹ करोड़ में)
1	गैर उगाही/कर की कम उगाही/ब्याज	949	39.21
2	गैर उगाही/कर की कम उगाही	230	7.41
3	अनियमित रूप से कर में छूट	263	32.37
4	वस्तुओं के मूल्य का गलत वर्गीकरण	256	13.26
5	वस्तुओं का गलत वर्गीकरण	38	1.68
6	केन्द्रीय बिक्री कर में अनियमितताएं	31	0.86
7	गणना मे त्रुटि	06	0.06
8	सालाना कर की हेराफेरी	14	0.59
9	अन्य अनियमितताएं	664	37.23
	योग	**2,451**	**132.67**

स्रोतः महालेखाकार (ई. एण्ड आर.एस.ए.) उ0प्र0

ऐसे प्रकरणों की संख्या कम करने हेतु सरकार द्वारा उपयुक्त उपाय किये जाने की आवश्यकता है।

1.6.4 संग्रह की लागत

वर्ष 2009–10, 2010–11 एवं 2011–12 की अवधि में प्रमुख राजस्व मदों के अन्तर्गत हुई प्राप्तियों, संग्रह हेतु किया गया व्यय एवं व्ययों की सकल संग्रहण से प्रतिशतता एवं साथ ही वर्ष 2010–11 की अवधि हेतु अखिल भारतीय स्तर पर संग्रहण पर हुए व्यय की प्रतिशतता **सारणी 1.13** में दी गई है।

सारणी 1.13 : संग्रह की लागत

विवरण	वर्ष	कुल संग्रह (₹ करोड़ में)	संग्रह पर व्यय (₹ करोड़ में)	सकल संग्रह पर किये गये व्यय की सकल संग्रह के साथ *प्रतिशतता*	वर्ष 2010–11 की अवधि में अखिल भारतीय स्तर पर संग्रहण पर किए गये व्यय की औसत *प्रतिशतता*
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	2009-10	20,825.18	358.43	1.72	-
	2010-11	24,836.52	391.45	1.58	0.75
	2011-12	33,107.34	440.89	1.33	-
स्टॉम्प कर एवं निबंधन शुल्क	2009-10	4,562.23	117.19	2.57	-
	2010-11	5,974.66	147.43	2.47	1.60
	2011-12	7,694.40	149.16	1.94	-

स्रोतः महालेखाकार (ई. एण्ड आर.एस.ए.) उ0प्र0 और वित्त लेखे

राज्य सरकार से संग्रह के उच्च लागत पर विश्लेषण करने तथा इस सन्बन्ध में उपयुक्त उपाय किए जाने की सिफारिश की जाती है। .

1.6.5 राजस्व बकाया

राजस्व की बकाया राशि के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों से सूचना मांगी गयी थी। 31 मार्च 2012 की समाप्ति पर कुछ प्रमुख शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 19,358 करोड़ का राजस्व बकाया था जिसमें ₹ 11,860 करोड़ पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया था। अग्रेतर, वित्तीय वर्ष 2010–11 के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों की बकाया राशि में ₹ 2,163 करोड़ की सामान्य वृद्धि दर्ज हुई। 31 मार्च 2012 की समाप्ति पर कुछ शीर्षो के अन्तर्गत राजस्व बकाया धनराशि की विस्तृत स्थिति **सारणी 1.14** में प्रस्तुत है।

सारणी 1.14 : राजस्व बकाया

(₹ करोड़ में)

राजस्व का शीर्ष	बकाया धनराशि	पांच वर्ष से अधिक अवधि से बकाया	टिप्पणी
बिक्री / व्यापार आदि पर कर	18,960.28	11,803.03	बकाया राजस्व ₹ 18,960.28 करोड़ में से ₹1,576.23 करोड़ भू राजस्व के बकाया की वसूली के रूप में मांग हेतु प्रमाणित किया गया था। अन्य राज्यों को ₹ 913.17 करोड़ के वसूली प्रमाण पत्र प्रेषित किये जा चुके हैं। न्यायालय/शासन द्वारा धनराशि ₹ 4,260.46 करोड़ की वसूली स्थगित की गयी है। सरकारी/अर्द्ध सरकारी विभागों से ₹ 495.62 करोड़ की वसूली लम्बित थी तथा ₹ 10,146.84 करोड़ की बकाया के वसूली प्रमाण–पत्र जारी किए जाने थे। ₹ 1,498.03 करोड़ की वसूली को बट्टे खाते में डाले जाने की संभावना थी। ₹ 69.93 करोड़ ट्रांसपोर्टरों से बकाया थे।

राज्य आबकारी	54.82	51.87	बकाया राजस्व ₹ 54.82 करोड़ में से ₹ 20.01 करोड़ की वसूली पर न्यायालय/अपीलीय प्राधिकरण द्वारा रोक लगा दी गयी, ₹ 5.56 करोड़ बट्टेखाते में डाले जाने की संभावना थी। विभाग द्वारा कहा गया कि समस्त धनराशि ₹ 29.25 करोड़ की वसूली हेतु वसूली प्रमाण पत्र (आर. सी.) जारी कर दिये गये।
मनोरंजन कर	13.37	4.61	कुल बकाया धनराशि ₹ 13.37 करोड़ में से ₹ 5.57 करोड, की वसूली के मांग के रूप में प्रमाणित किया जा चुका है। विभाग द्वारा कहा गया कि शेष ₹ 7.80 करोड़ की पर न्यायालय/अपीलीय प्राधिकरण द्वारा रोक लगा दी गयी,
स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क	329.53	विभाग द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया	बकाया राजस्व ₹ 329.53 करोड़ में से ₹ 186.59 करोड़ की वसूली को न्यायालय द्वारा स्थगित कर दी गयी। शेष ₹ 142.94 करोड के बकाया राजस्व के संबंध में विभाग द्वारा कोई विवरण नहीं दिया गया है।
योग	**19,358.00**	**11,859.51**	

स्रोतः सम्बन्धित विभाग

राज्य सरकार से बकायों के पर्याप्त संचयन के कारणों का उपयुक्त विश्लेषण करने के पश्चात प्रभावी कार्यवाही आरम्भ करने की सिफारिश की जाती है। .

1.7 संसाधनों के अनुप्रयोग

राज्य सरकार के स्तर पर व्ययों के आवंटन का विश्लेषण महत्वपूर्ण है क्योंकि व्यय करने का उत्तरदायित्व मुख्य रूप से राज्य सरकार का है। राजकोषीय उत्तरदायित्व विधानों के अन्तर्गत लोक व्ययों को घाटे द्वारा अथवा उधार लेकर पोषित करने में बजट की समस्या आती है। अतः यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि राज्य के स्तर पर वर्तमान में किये जा रहे राजकोषीय सुधार एवं समेकन प्रक्रिया, व्यय की कीमत पर, विशेषकर विकास एवं सामाजिक क्षेत्रों के लिए निर्धारित व्यय की कीमत पर, न किया जाए।

1.7.1 व्यय के संघटक एवं उनमें वृद्धियां

कुल व्ययों में राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय और ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित होते हैं। राजस्व व्यय, सेवाओं के वर्तमान स्तर को बनाए रखने और पिछले वर्षों के दायित्वों के भुगतान हेतु किया जाता है जिससे कि राज्य सरकार की अवस्थापना एवं दी जा रही सेवाओं में कोई वृद्धि नहीं होती है। दूसरी ओर, पूंजीगत व्ययों द्वारा राज्य सरकार की अवस्थापना एवं उसके द्वारा दी जा रही सेवाओं (मूर्त परिसम्पत्ति) में वृद्धि होती है।

कुल व्यय

वर्ष 2007–12 की अवधि में सकल राज्य घरेलू उत्पाद एवं राजस्व प्राप्तियों के सन्दर्भ में कुल व्यय में वृद्धि दर, उसके संघटक, अनुपात एवं उत्प्लावकता **सारणी 1.15** में प्रस्तुत है।

सारणी 1.15: कुल व्यय की प्रवित्तियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
कुल व्यय	**82,915**	**99,122**	**1,15,407**	**1,28,917**	**1,46,435**
राजस्व व्यय	65,223	75,969	89,374	1,07,676	123885
आयोजनेत्तर राजस्व व्यय	53,479	58,678	73,673	86,636	101269
आयोजनागत व्यय	11,744	17,291	15,701	21,040	22616
पूंजीगत व्यय	16,950	22,346	25,091	20,273	21574
ऋण एवं अग्रिम	742	807	942	968	976

कुल व्यय की वृद्धि दर	17.49	19.54	16.43	11.71	13.59
कुल व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (अनुपात)	23.19	24.05	23.49	21.91	21.29
राजस्व प्राप्तियां/कुल व्यय (अनुपात)	82.82	78.52	83.55	86.24	89.37
कुल व्यय के साथ उत्प्लावकता					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	1.22	1.28	0.86	0.59	0.80
राजस्व प्राप्तियां (अुनपात)	1.31	1.46	0.69	0.76	0.77

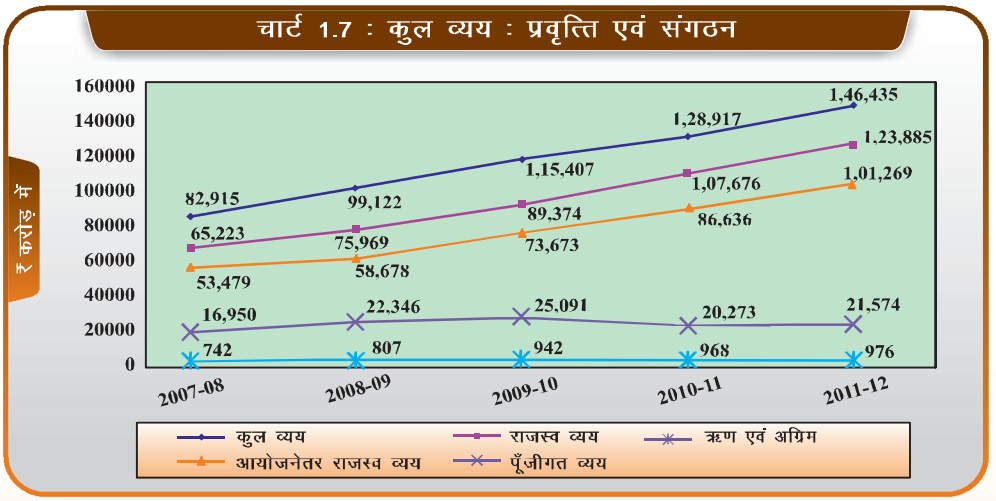
स्रोतः वित्त लेखे

- उपरोक्त सारणी से यह इंगित है कि राज्य सरकार का कुल व्यय वर्ष 2007–08 की अवधि में ₹ 82,915 करोड़ से बढ़कर (₹ 63,520 करोड़, 77 *प्रतिशत*) वर्ष 2011–12 में ₹ 1,46,435 करोड़ हो गया। कुल व्यय का विकास दर असामान्य प्रवृत्ति दर्शाता है।

- वर्ष 2007–08 में 83 *प्रतिशत* के सापेक्ष वर्ष 2011–12 में कुल व्यय के अनुपात के रूप में राजस्व प्राप्तियाँ 89 *प्रतिशत* थी

वर्ष 2007–12 की पाँच वर्ष की अवधि के कुल व्ययों की प्रवृत्ति **चार्ट 1.7** में प्रस्तुत है।

चार्ट 1.7 : कुल व्यय : प्रवृत्ति एवं संगठन



स्रोतः वित्त लेखे

वर्ष 2007–12 की अवधि में कुल व्यय में स्थिर गति से वृद्धि हुई। वर्ष 2010–11 के सापेक्ष वर्ष 2011–12 में 17,518 करोड़ की वृद्धि हुई, जिसमें राजस्व व्यय का अंश ₹ 16,209 करोड़ (93 *प्रतिशत*) था।

राजस्व व्यय में वर्ष 2010–11 की तुलना में वर्ष 2011–12 में वृद्धि मुख्यतः सामान्य शिक्षा, पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ, विद्युत ऊर्जा आदि के अंतर्गत हुई। शीर्षों जिनमें महत्वपूर्ण वृद्धि पायी गई, उनकी विवेचना निम्नवत है:

- **सामान्य शिक्षा** : सामान्य शिक्षा में ₹ 5,037.12 करोड़ (24 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। यह वृद्धि शासकीय प्राथमिक विद्यालयों के अधीन 'सर्वशिक्षा अभियान' एवं बकाया वेतन भुगतान आदि में सहायता देने के कारण हुई । जबकि 'मध्यान्ह भोजन योजना' के अंतर्गत व्यय में ₹ 304.10 करोड़ की कमी हुई।

- **पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभः** पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ में ₹ 1,509.22 करोड़ (12 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई। यह वृद्धि उत्तराखण्ड राज्य को पेंशन देयताओं के भुगतान एवं छठें वेतन आयोग की संस्तुतियों के लागू होने से पेंशन, पारिवारिक पेंशन, ग्रेचुटी तथा अन्य सेवा निवृत्ति लाभ में संशोधन के फलस्वरूप बकाया के भुगतान के कारण हुई ।

- **विद्युतः** मुख्य शीर्ष विद्युत के अंतर्गत ₹ 1,349.07 करोड़ (63 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई। यह वृद्धि उत्तर प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड को विद्युत हानि की प्रतिपूर्ति हेतु दी जाने वाली सब्सिडी/सहायता के कारण हुई।

- **ऋण घटाने या उसके परिहार करने के लिए विनियोजनः** ऋण घटाने या उसके परिहार करने के लिए विनियोजन में ₹ 1,303.92 (18 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई। यह ऋण शोधन निधि में अधिक स्थानान्तरण के कारण हुई।

- **ब्याज अदायगियाँः** ब्याज अदायगियों में ₹ 1,265.38 करोड़ (नौ *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई। यह बाजार ब्याज पर अधिक ब्याज भुगतान एवं भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशिष्ट सुरक्षा के कारण हुई।

- **समाजिक सुरक्षा एवं कल्याणः** सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण के अंतर्गत चालाए जा रहे, कार्यक्रमों 'समन्वित बाल विकास योजना'; 'वृद्ध कल्याण, असक्त तथा निराश्रितों' में ₹ 1,051 करोड़ (14 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई।

वर्ष 2010–11 के सापेक्ष वर्ष 2011–12 में राजस्व व्यय में कमी हुई। शीर्षो जिनमें महत्वपूर्ण कमियाँ देखी गयी, उनकी विवेचना निम्नवत हैः

- **बिक्री और व्यापार आदि पर करः** इस मद में ₹ 329 करोड़ (26 *प्रतिशत*) की कमी हुई। यह कमी संरक्षित निधि, अन्य विकास तथा कल्याण निधि, उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि को कम धन हस्तांतरण के फलस्वरूप हुई।

- **फसल कृषि–कर्मः** फसल कृषि–कर्म में ₹ 208 करोड़ (12 *प्रतिशत*) की कमी हुई। यह कमी राष्ट्रीय कृषि योजना आदि के लिए दी जाने वाली सब्सीडी घटाने के फलस्वरूप हुई।

वर्ष 2010–11 के सापेक्ष वर्ष 2011–12 पूँजीगत व्यय में वृद्धि मुख्यतः नगर विकास, आवास आदि के अंतर्गत हुई। शीर्षों जिनके अंतर्गत उल्लेखनीय वृद्धि पायी गई, उनकी विवेचना निम्नवत हैः

- **नगर विकासः** जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के अंतर्गत नगर स्थानीय निकायों को अधिक अनुदान अवमुक्त किये जाने के कारण नगर विकास में ₹ 641 करोड़ (30 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई।

- **आवासः** आवास हेतु प्रमुख निर्माण कार्य तथा अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक आयोजना के अंतर्गत अनुदानों के अधिक अवमुक्त किये जाने के कारण आवास में ₹ 561.26 करोड़ (619 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई।

- **खाद्य भण्डारण तथा माल गोदामः** खाद्य भण्डारण तथा माल–गोदाम में ₹ 555 करोड़ (46 *प्रतिशत*) की वृद्धि खाद्य एवं प्राप्ति/आपूर्ति के कारण हुई।

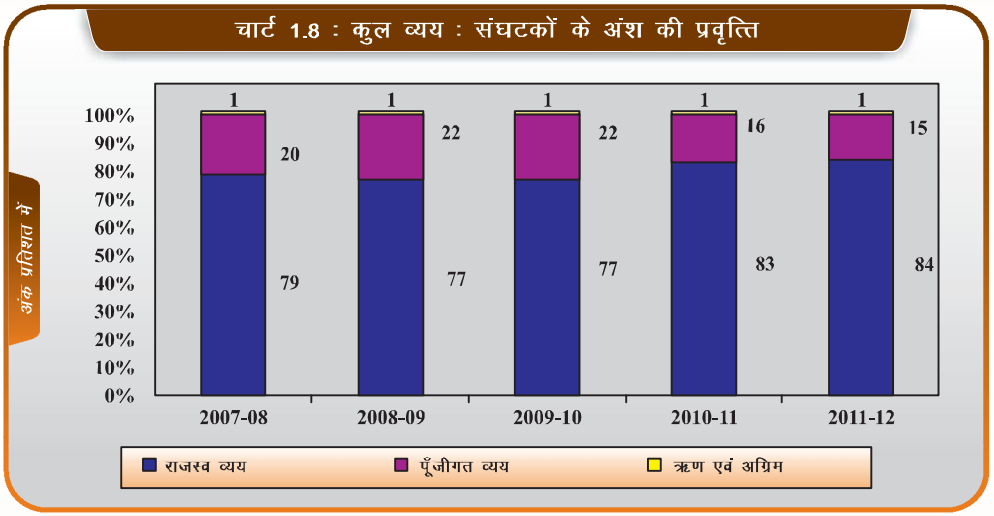
पूँजीगत व्यय में वर्ष 2010–11 के सापेक्ष वर्ष 2011–12 में कमी मुख्यतः शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति तथा वृहद सिंचाई आदि के कारण हुई। शीर्षों जिनके अंतर्गत मुख्य रुप से कमियाँ पायी गयी, की विवेचना निम्नवत है:

- **शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति** : शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति के अंतर्गत ₹ 379 करोड़ (52 *प्रतिशत*) की कमी थी जोकि विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा केन्द्रों में निर्माण कार्यों पर तथा अनुसूचित जाति के लिए स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अंतर्गत बहुशिल्प एवं अभियांत्रिक महाविद्यालयों की स्थापना पर व्ययों में कमी के फलस्वरूप हुई।
- **मुख्य सिंचाई** : मुख्य सिंचाई के अंतर्गत ₹ 265 करोड़ (18 *प्रतिशत*) की कमी शारदा सहायक नहर विभाजन परियोजना एवं अर्जुन सहायक परियोजना के अनुरक्षण पर कम व्यय होने के फलस्वरूप हुई।

कार्यकलापवार कुल व्ययों में प्रवृत्तियाँ

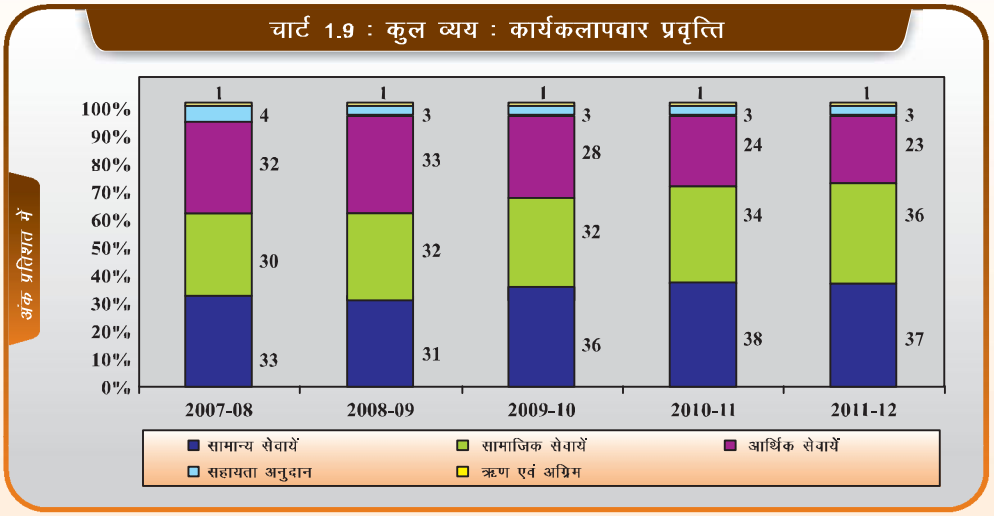
'आर्थिक वर्गीकरण' एवं 'कार्यकलापवार–व्यय' के संदर्भ में कुल व्ययों के संघटकों को क्रमशः **चार्ट 1.8** और **1.9** में प्रदर्शित किया गया है।

चार्ट 1.8 : कुल व्यय : संघटकों के अंश की प्रवृत्ति



स्रोत : वित्त लेखे

चार्ट 1.9 : कुल व्यय : कार्यकलापवार प्रवृत्ति



स्रोत : वित्त लेखे

कुल व्यय के सापेक्ष यह दृष्टव्य है कि वर्ष 2007–12 की अवधि में राजस्व एवं पूँजीगत व्ययों के अंशों में अन्तर्वर्षीय भिन्नता की प्रवृत्ति है।

तेरहवें वित्त आयोग के अनुमानों के सापेक्ष वर्ष 2011–12 की अवधि में आर्थिक, सामाजिक एवं सामान्य सेवाओं के अंतर्गत हुए व्ययों की तुलना **सारणी 1.16** में प्रदर्शित है।

सारणी 1.16 : तेरहवें वित्त आयोग के अनुमानों के सापेक्ष व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	तेरहवें वित्त आयोग के अनुमान	वास्तविक व्यय	विचलन (कोष्ठक में *प्रतिशत*)
सामान्य सेवाएं	31,765.38	52,345.19	20,579.81 (65)
सामाजिक सेवाएं	5,453.40	29,781.35	24,327.95 (446)
आर्थिक सेवाएं	6,307.05	13,887.61	7,580.56 (120)

स्रोतः बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसाएँ एवं वित्त लेखे

सारणी से यह देखा जा सकता है कि तेरहवें वित्त आयोग के अनुमानों के सापेक्ष सामान्य सेवाओं, सामाजिक सेवाओं तथा आर्थिक सेवाओं पर किया गया व्यय क्रमशः 65 *प्रतिशत*, 446 *प्रतिशत* तथा 120 *प्रतिशत* अधिक था। सामाजिक सेवाओं पर किया गया व्यय उल्लेखनीय रूप से अधिक था।

1.7.2 वचनबद्ध व्यय

राज्य सरकार के राजस्व खाते से वचनबद्ध व्ययों के अन्तर्गत मुख्यतः ब्याज भुगतान, वेतन एवं मजदूरी, पेंशन तथा सब्सिडी मद सम्मिलित हैं। इन सभी मदों के अंतर्गत किये गये व्यय विकासेतर राजस्व व्ययों के प्रमुख अंग हैं जोकि आयोजनेतर राजस्व व्यय का 82 *प्रतिशत* उपभोग करते हैं। **सारणी 1.17** और **चार्ट 1.10** में इन मदों में वर्ष 2007–12 की अवधि के व्ययों की प्रवृत्ति प्रस्तुत है।

सारणी 1.17 : वचनबद्ध व्ययों के मद

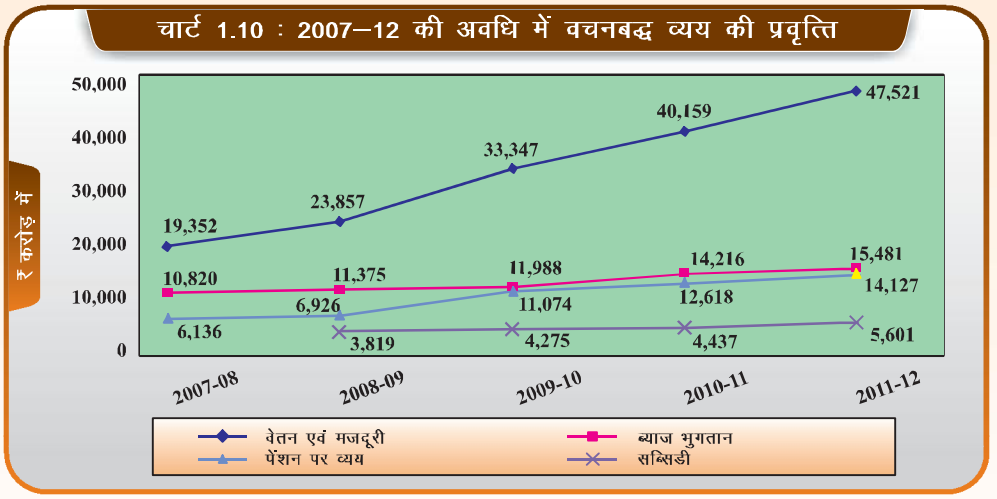
(₹ करोड़ में)

वचनबद्ध व्ययों के मद	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	
					बजट अनुमान	वास्तविक व्यय
वेतन एवं मजदूरी जिसमें*	**19,352 (28)**	**23,857 (31)**	**33,347 (35)**	**40,159 (36)**	**47,270**	**47,521 (36)**
आयोजनेतर शीर्ष	18,624	22,834	31,137	36,316		42,244
आयोजनागत शीर्ष**	728	1,023	2,210	3,843		5,277
ब्याज भुगतान	**10,820 (16)**	**11,375 (14)**	**11,988 (13)**	**14,216 (13)**	**14,914**	**15,481 (12)**
पेंशन पर व्यय	**6,136 (9)**	**6,926 (9)**	**11,074 (11)**	**12,618 (11)**	**13,744**	**14,127 (11)**
सब्सिडी	-	**3,819 (5)**	**4,275 (4)**	**4,437 (4)**	**6,670**	**5,601 (4)**
वचनबद्ध व्यय का योग	**36,308 (53)**	**45,977 (59)**	**60,684 (63)**	**71,430 (64)**	**82,598**	**82,730 (63)**

इस मद में "राजस्व प्राप्तियों" से प्रतिशत कोष्टक में अंकित किये गये है।
*सहायता अनुदान से भुगतानित वेतन भी सम्मिलित है।
**आयोजनागत शीर्ष के अन्तर्गत वह भी वेतन एवं मजदूरी सम्मिलित हैं जिसका कि भुगतान केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं से किया गया था।

स्रोतः वित्त लेखे एवं वी.एल.सी. आंकड़े

चार्ट 1.10 : 2007–12 की अवधि में वचनबद्ध व्यय की प्रवृत्ति



स्रोतः वित्त लेखे

वर्ष 2007–12 की सम्पूर्ण अवधि में राज्य सरकार के वचनबद्ध व्ययों के मदों में वृद्धियों की प्रवृत्ति थी। यह वचनबद्ध व्यय वर्ष 2007–08 के ₹ 36,308 करोड़ के स्तर से 128 *प्रतिशत* बढ़कर वर्ष 2011–12 में ₹ 82,730 करोड़ के स्तर पर थे। यह वृद्धि मुख्य रूप से वेतन, मजदूरी एवं पेंशन मदों के अन्तर्गत थी।

वेतन एवं मजदूरी

आयोजनेतर शीर्षों एवं आयोजनागत शीर्षों के अन्तर्गत वर्ष 2007–12 की अवधि में वेतन एवं मजदूरी पर हुए व्ययों का विश्लेषण करने पर वृद्धि की प्रवृत्ति पायी गयी। आयोजनेत्तर शीर्षों के अन्तर्गत वेतन एवं मजदूरी पर किया गया व्यय वर्ष 2007–08 के ₹ 18,624 करोड़ के स्तर से बढ़कर (127 *प्रतिशत)* वर्ष 2011–12 में ₹ 42,244 करोड़ हो गया तथा आयोजनागत शीर्षों के अन्तर्गत व्यय वर्ष 2007–08 में ₹ 728 करोड़ से बढ़कर (625 *प्रतिशत*) वर्ष 2011–12 में ₹ 5,277 करोड़ हो गया।

तेरहवें वित्त आयोग द्वारा यह अनुशंसा की गई कि राज्य सरकार अपने कर्मचारियों की भर्ती नीति का अनुसरण ऐसे करे कि जिससे कि वेतन कुल राजस्व व्यय के निवल ब्याज एवं पेंशन भुगतान का 35 *प्रतिशत* से अधिक न हो। तेहरवें वित्त आयोग ने मानकीय सीमा तक ही वेतन पुनर्निर्धारण के फलस्वरूप होने वाली वृद्धि को सीमित किया तथा यह अनुशंसा की गई कि मानक सीमा से अधिक हुए व्यय को क्रमशः प्रति वर्ष 10 *प्रतिशत* कम किया जाए, यद्यपि वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 की अवधि में कुल वेतन के रूप में व्यय की गयी धनराशि राजस्व व्यय, निवल ब्याज एवं पेंशन भुगतान के लगभग 50 *प्रतिशत* पर स्थिर था।

पेंशन भुगतान

पेंशन भुगतान में वर्ष 2007–12 की अवधि में वृद्धि की प्रवृत्ति थी। पेंशन की धनराशि वर्ष 2007–08 में ₹ 6,136 करोड़ के स्तर से बढ़कर (130 *प्रतिशत*) वर्ष 2011–12 में ₹ 14,127 करोड़ के स्तर पर पहुँच गयी। यह वर्ष 2010–11 की तुलना में यह बढ़त ₹ 1,509 करोड़ (12 *प्रतिशत*) की थी यद्यपि, वास्तविक पेंशन भुगतान तेरहवें वित्त आयोग द्वारा अनुमानित धनराशि (₹ 10,467 करोड़) से ₹ 3,660 करोड़ (35 *प्रतिशत*) अधिक थी।

पेंशन देयताओं के प्रभाव को कम करने के लिए 01 अप्रैल 2005 से या उसके बाद नियुक्त हुए कर्मचारियों हेतु राज्य सरकार द्वारा अंशदायी पेंशन योजना प्रारम्भ की गयी थी।

ब्याज भुगतान

कुल राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष ब्याज भुगतान वर्ष 2007–08 में 16 *प्रतिशत* के स्तर से घटकर वर्ष 2011–12 में 12 *प्रतिशत* हो गया जबकि यह 2007–12 की अवधि में राजस्व व्यय 12 *प्रतिशत* और 17 *प्रतिशत* के मध्य रहा। वास्तविक ब्याज अदायगी (₹ 15,481 करोड़) पुनरीक्षित अनुमान (₹ 14,914 करोड़) से ₹ 567 करोड़ तथा तेरहवें वित्त आयोग के अनुमान (₹ 15,326 करोड़) से ₹ 155 करोड़ अधिक थी।

सब्सिडी

वर्ष 2011–12 की अवधि में राज्य सरकार द्वारा ₹ 5,601 करोड़ की धनराशि का सब्सिडी के तौर पर भुगतान किया गया जो कि राजस्व प्राप्तियों एवं कुल व्ययों का चार *प्रतिशत* था। कुल भुगतान की गयी सब्सिडी में ₹ 3,776 करोड़ (67 *प्रतिशत*) आयोजनेत्तर एवं ₹1,005 करोड़ (18 *प्रतिशत*) आयोजनागत तथा केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं[5] के अंतर्गत ₹ 820 करोड़ (15 *प्रतिशत*) थे। प्रमुख क्रियाकलापों जिनके अंतर्गत सब्सिडी का भुगतान किया गया था, में ऊर्जा (₹ 3,517 करोड़, 63 *प्रतिशत*), कृषि तथा अन्य सम्बद्ध क्रियाकलापों (₹ 1,770 करोड़ 32 *प्रतिशत*), उद्योग एवं खनिज (₹ 65 करोड़, एक *प्रतिशत*), सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण राहत (₹ 233 करोड़ चार *प्रतिशत*) तथा विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण (₹ 16 करोड़ शून्य *प्रतिशत*) सम्मिलित थे।

पुनरीक्षित अनुमानों के सापेक्ष सब्सिडी भुगतान का विस्तृत विवरण **सारणी 1.18** में प्रस्तुत है।

सारणी 1.18 : पुनरीक्षित अनुमान के संदर्भ में सब्सिडी भुगतान

विवरण	पुनरीक्षित अनुमान		वास्तविक व्यय		विचलन	
	धनराशि (₹ करोड़ में)	सकल राज्य घरेलू उत्पाद का *प्रतिशत*	धनराशि (₹ करोड़ में)	सकल राज्य घरेलू उत्पाद का *प्रतिशत*	धनराशि (₹ करोड़ में)	सकल राज्य घरेलू उत्पाद का *प्रतिशत*
ऊर्जा	2,985	0.43	3,517	0.51	(-) 532	(-) 0.08
सामान्य	2,951	0.43	2,084	0.30	867	0.13
योग	**5,936**		**5,601**			

स्रोत : वित्त लेखे, राज्य का बजट

सारणी से यह विदित है कि 'ऊर्जा' के अंतर्गत दी गयी सब्सिडी के वास्तविक आँकड़े पुनरीक्षित अनुमान से **₹** 532 करोड़ अधिक थे, जो कि यह संकेत करते है कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशतता के संदर्भ में विद्युत क्षेत्र को अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक प्राथमिकता दी गई थी।

'विद्युत' में होने वाली हानि राज्य सरकार के वित्त पर मुख्य भार है। तदनुसार, तेरहवें वित्त आयोग द्वारा यह अनुशंसा की गई कि राज्य सरकार समयबद्ध ढंग से हानि को कम करने के लिए कदम उठाये। राज्य सरकार ने यह सूचित (सितम्बर 2012) किया कि विशिष्ट उपभोक्ताओं के लिए दोहरे मीटर प्रणाली विकसित करने हेतु तथा अत्यधिक विद्युत–चोरी वाले क्षेत्रों में नेकेड कन्डक्टर के स्थान पर एरियल बंच कन्डक्टर लगाए जाने हेतु कदम उठाये गये है। तेरहवें वित्त आयोग ने यह भी अनुशंसा दी कि विद्युत के संचरण एवं वितरण में हो रही हानि में कमी लायी जाये। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने यह भी सूचित (सितम्बर 2012) किया कि राज्य के निश्चित क्षेत्रों में शुरूआती तौर पर फीडर सेपरेशन स्कीम लागू की गई है, जिसके अंतर्गत कृषि फीडर को ग्रामीण फीडर (बिजली और पंखे के संयोजन के लिए फीडर)

[5] राज्य बजट से निधियाँ हस्तान्तरित।

से अलग किया जाना था, यद्यपि उपरोक्त योजना केवल मेरठ मण्डल में ही प्रगति (अगस्त 2012) पर थी।

1.7.3 स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता

विगत वर्ष के सापेक्ष चालू वर्ष में स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को प्रदत्त अनुदानों एवं ऋणों के रूप में दी गयी सहायता की धनराशि **सारणी 1.19** में सारांशीकृत है।

सारणी 1.19 : स्थानीय निकायों इत्यादि को वित्तीय सहायता

संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
शिक्षण संस्थाएं (सहायता प्राप्त स्कूल, सहायता प्राप्त कालेज, विश्वविद्यालय इत्यादि,	10,503.38	10,642.76	10,364.69	17,919.87	18,345.95
नगर निगम एवं नगरपालिकाएं/ विकास अभिकरण	948.61	1,262.59	2,461.05	1,864.41	3,567.02
जिला परिषद् एवं अन्य पंचायती राज संस्थाएं	3,549.49	3,504.21	2,369.77	2,878.74	2922.91
चिकित्सालय एवं अन्य धर्मार्थ संस्थाएं	130.18	121.76	249.65	25.95	14.63
अन्य संस्थाए[6]	228.73	291.16	2,674.87	7,994.17	14,363.80
योग	**15,360.39**	**15,822.48**	**18,120.03**	**30,683.14**	**39,214.31**
सहायता, राजस्व व्यय के *प्रतिशत* में	24	21	20	28	32

स्रोत : वित्त लेखे

स्थानीय निकायों और अन्य संस्थाओं को दी गयी सहायता एवं अनुदान की धनराशि वर्ष 2007–08 के स्तर ₹ 15,360.39 करोड़ से बढ़कर (₹ 23,853.92 करोड़; 155 *प्रतिशत*) वर्ष 2011–12 में ₹ 39,214.31 करोड़ हो गयी। वर्ष 2010–11 के सापेक्ष यह वृद्धि (₹ 8,531.17 करोड़) 28 *प्रतिशत* थी।

राजस्व व्यय के *प्रतिशत* के रूप में यह सहायता 20 *प्रतिशत* और 32 *प्रतिशत* के मध्य रही, जबकि वर्ष 2011–12 की अवधि में यह सबसे अधिक 32 *प्रतिशत* के स्तर पर थी। वर्ष 2011–12 की अवधि में भी राज्य सरकार द्वारा दी गयी वित्तीय सहायता की धनराशि के मुख्य लाभार्थियों में शैक्षणिक संस्थाएं, तत्पश्चात् जिला परिषद एवं अन्य पंचायती राज संस्थाओं को वरीयता प्रदान की गयी ।

1.7.4 शहरी स्थानीय निकाय

शहरी स्थानीय निकायों के अन्तर्गत नगर निगम, नगर पालिका परिषदें एवं नगर पंचायतें सम्मिलित हैं। चौहत्तरहवें संविधान संशोधन (1992) में इन शहरी स्थानीय निकायों को पावर के विकेन्द्रीकरण और अधिक क्रिया–कलापों एवं धनराशियों का हस्तान्तरित करने का मार्ग प्रशस्त हुआ। संशोधन के प्रावधानों का प्रयोग करते हुए विधायिका ने उत्तर प्रदेश स्थानीय स्वशासन विधि (संशोधन) अधिनियम 1994 पारित किया। राज्य में शहरी स्थानीय निकायों की संख्या 630 थी जो कि चुने गये सदस्यों की एक परिषद से शासित होती है।

[6] (i) उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना (ii) मध्यान्ह् भोजन योजना का राष्ट्रीय कार्यक्रम (iii) शिक्षकों की नियुक्ति, (iv) त्वरित ग्रामीण पेयजल योजना, (ए0आर0डब्लू0एस0पी0), (v) महामाया गरीब बालिका आर्शीवाद योजना, (vi) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, (vii) वृद्धावस्था/किसान पेंशन, (viii) बकाया का भुगतान इत्यादि।

क्रिया–कलापों का अन्तरण

राज्य सरकार द्वारा 18[7] क्रिया–कलापों (संविधान की 12वीं अनुसूची में प्राविधानित) में से 13 क्रिया–कलापों को शहरी स्थानीय निकायों को सौपा गया, जबकि पांच कार्य[8] सौपें नहीं गये। 13 कार्यो के अतिरिक्त एक और क्रिया–कलाप (वाहन पार्किंग स्थल, जो कि संविधान की 12वीं अनुसूची के बाहर था) भी उनको सौंपा गया जबकि सौपे जाने के उपरांत भी 14 में से छः कार्यो[9] का न गतिविधियॉं और न ही शहरी स्थानीय निकायों को (दिसम्बर 2011) स्थानांतरित किये गये थे। इस प्रकार, क्रिया–कलापों के हस्तान्तरण के माध्यम से धनराशियों के दिये जाने का कार्य नहीं हुआ।

अनुदानों का अंतरण

द्वितीय राज्य वित्त आयोग ने अनुशंसा की थी कि राज्य सरकार के कर राजस्व का 7.5 *प्रतिशत* शहरी स्थानीय निकायों को दिया जाना चाहिये जबकि तृतीय राज्य वित्त आयोग ने इसे कम कर सात *प्रतिशत* कर दिया। राज्य सरकार द्वारा जितनी धनराशि दिया जाना था और वस्तुतः जितनी धनराशि दी गयी उन्हें **सारिणी 1.20** में दिया गया है।

सारणी 1.20 : अनुदानों का अंतरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	राज्य को प्राप्त निवल राजस्व	अंतरित की जाने वाली धनराशि	अंतरित की गयी धनराशि	कम अन्तरित धनराशि *(प्रतिशत)*
2007-08	24,959	1,872	1,838	34 (2)
2008-09	28,659	2,149	1,986	163 (8)
2009-10	33,878	2,541	2,121	420 (17)
2010-11	41,110	2,878	2,566	312 (16)
2011-12	52,613	3,683	2,751	932 (22)
योग	**1,81,219**	**13,123**	**11,262**	**1,861 (14)**

स्रोतः निदेशक, नगर स्थानीय निकाय,लखनऊ

उपरोक्त सारिणी से यह देखा जा सकता है कि राज्य सरकार ने 1,861.00 करोड़ (14 *प्रतिशत*) की धनराशि शहरी स्थानीय निकायों को अंतरित नही की जिसके परिणामस्वरूप लोगों को अच्छी नगर–सम्बन्धी सुविधायें प्राप्त नहीं हो सकीं। राज्य सरकार का उत्तर प्रतीक्षित है (नवम्बर 2012)।

निजी संसाधनों से प्राप्त राजस्व

शहरी स्थानीय निकायों द्वारा कर, किराये एवं शुल्क आदि एकत्र कर राजस्व प्राप्त किया जाता हैं। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2009–12 की अवधि में राजस्व उगाहन हेतु निर्धारित किये गये लक्ष्यों तथा उनके सापेक्ष उपलब्धियों का विवरण **सारणी 1.21** में निम्नवत् है–

[7] (i) शहरी नियोजन जिसमें नगरीय नियोजन सम्मिलित है, (ii) भवनों का निर्माण एवं भु–प्रयोग का विनियमन, (iii) सामाजिक एवं आर्थिक विकास का नियोजन, (iv) मार्ग एवं सेतु, (v) औद्योगिक एवं वाणिज्यिक एवं घरेलू उददेश्यों हेतु जलापूर्ति, (vi) शहरी स्वच्छता, संरक्षण एवं ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, (vii) अग्नि सेवाएं, (viii) शहरी वानिकी पर्यावरण का संरक्षण एवं पारिस्थितिकी पक्ष की उन्नति, (ix) समाज के कमजोर वर्ग, विकलांग तथा मानसिक रूप से अक्षम लोगों के हितों की सुरक्षा, (x) मलिन बस्ती का उन्नयन एवं उच्चीकरण, (xi) शहरी गरीबी उन्मूलन, (xii) शहरी आवश्यकताओं एवं सुविधाओं का प्रावधान जैसे–पार्क, बगीचा एवं खेलकूद का मैदान, (xiii) शैक्षिक, संस्कृति एवं सौन्दर्य पक्ष की प्रोन्नति, (xiv) कब्रिस्तान, शमशान घाट एवं विद्युत शवदाह गृह, (xv) पशुशाला, पशुओं पर कूरता की रोकथाम, (xvi) जन्म, मृत्यु का पंजीकरण एवं जनांनिकी, (xvii) जन सुविधाएं–स्ट्रीट लाइट, बस अडडा पार्किग एवंज न यातायात (xviii) स्लाटर हाऊस एवं चर्म उद्योग का विनियमितीकरण।

[8] (i) शहरी नियोजन जिसमें नगरीय नियोजन सम्मिलित है, (ii) भवनों का निर्माण एवं भू–प्रयोग का विनियमन, (iii) मार्ग एवं सेतु, (iv) अग्निशमन सेवाएं, (v) शैक्षिक, सांस्कृतिक एवं सौन्दरीकरण की प्रोन्नति।

[9] (i) आर्थिक एवं सामाजिक विकास का नियोजन, (ii) शहरी वानिकी, (iii) समाज के कमजोर वर्गो के हितों की संरक्षण, (iv) शहरी गरीबी उन्मूलन, (v) मलिन बस्तियों का सुधार एवं उच्चीकरण, (vi) वाहनों के लिए पार्किग स्थल

सारणी 1.21 : निजी संसाधनों से प्राप्त राजस्व

शहरी स्थानीय निकायों की संख्या एवं नाम	2009–10		2010–11		2011–12	
	शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य	उपलब्धि (*प्रतिशत*)	शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य	उपलब्धि (*प्रतिशत*)	शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य	उपलब्धि (*प्रतिशत*)
	(₹ करोड़ में)					
13 नगर निगम	478.78	527.57 (110)	810.00	676.67 (84)	788.74	720.62 (91)
194 नगर पालिका परिषद	149.96	178.37 (119)	240.80	211.79 (88)	237.85	227.72 (96)
423 नगर पंचायत	40.53	45.43 (112)	61.44	53.07(86)	72.51	57.66 (80)
योग	**669.27**	**751.37**	**1,112.24**	**941.53**	**1,099.10**	**1,006.00**

स्रोतः निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय, लखनऊ

सारणी से यह उद्घटित होता है कि नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों की उपलब्धियाँ वर्ष 2009–10 की अवधि में उनके लक्ष्यों से अधिक रही थी, जबकि वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 की अवधि में उपलब्धियाँ लक्ष्यों से कम थी।

लेखापरीक्षा की व्यवस्था

- उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखापरीक्षा अधिनियम, 1984 के उपबन्धों के अनुसार निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा शहरी स्थानीय निकायों के प्राथमिक लेखा परीक्षक हैं। कर्मचारियों की कमी के कारण उक्त निकायों के लेखाओं की लेखा परीक्षा वर्ष 2009–12 की अवधि 11 *प्रतिशत* से 15 *प्रतिशत* तक नही की जा सकी[10]। राज्य सरकार ने यह सूचित किया (सितम्बर 2012) कि तेरहवें वित्त आयोग की अनशंसाओं के परिप्रेक्ष्य में स्थानीय लेखापरीक्षा विभाग ने लेखा परीक्षा कर्मचारियों की दक्षता वृद्धि के लिए वर्ष 2011–12 में 21 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये ।

- उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षा अधिनियम, 1984 की धारा 8 (3) के प्रावधानों के अनुसार निदेशक, स्थानीय निधि लेखापरीक्षा शहरी स्थानीय निकायों के लेखाओं की एक समेकित लेखा परीक्षा प्रतिवेदन तैयार करने और विधायिका के समक्ष रखने हेतु इसे राज्य सरकार को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी है। उक्त प्रतिवेदन मात्र वर्ष 2008–09 तक ही तैयार करके प्रस्तुत की गयी थी।

1.7.5 पंचायती राज संस्थाएं

तिहत्तरवें संविधान संशोधन, 1992 को दृष्टि में रखते हुए, निर्वाचित निकाय प्रणाली की एक त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्था की स्थापना एवं उक्त के द्वारा ग्रामीण स्वशासी निकायों–ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत, क्षेत्र स्तर पर क्षेत्र पंचायत एवं जिला स्तर पर जिला पंचायत में पावर को विकेन्द्रीकृत करने के लिये उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं

10

वर्ष	लेखापरीक्षा की जाने वाली इकाईयों की संख्या	वास्तव में लेखा परीक्षित इकाईयों की संख्या	अवशेष इकाईयाँ (*प्रतिशत* कोष्ठक में)
2009-10	623	556	67 (11)
2010-11	624	542	82 (13)
2011-12	625	529	96 (15)

जिला पंचायत अधिनियम, 1961 को वर्ष 1994 में संशोधित किया गया। पंचायती राज संस्था प्रणाली का उद्देश्य स्थानीय शासन में जनता की भागीदारी में वृद्धि करना एवं ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन करना था। मार्च 2012 के अन्त तक राज्य में 51,914 ग्राम पंचायतें, 821 क्षेत्र पंचायतें एवं 72 जिला पंचायतें थी।

अनुदानों का अंतरण

द्वितीय वित्त आयोग ने कुल कर राजस्व प्राप्तियों का पांच *प्रतिशत* पंचायती राज संस्था को अंतरित करने की अनुशंसा की थी। तृतीय वित्त आयोग ने इसे बढ़ाकर 5.5 *प्रतिशत* कर दिया। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2007–12 की अवधि में पंचायती राज संस्थाओं को धनराशियों का अंतरण एवं वास्तव में अवमुक्त की गयी धनराशियाँ **सारणी 1.22** में दी गई है:

सारणी 1.22 : अनुदानों का अंतरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	शासन की कुल कर राजस्व प्राप्तियां	धनराशियाँ जो अंतरित की जानी थी	वास्तव में अंतरित की गयी धनराशियाँ	कमी / अधिक्य	*प्रतिशत*
2007-08	24,959	1,248	1441	(+) 193	(+) 15
2008-09	28,659	1,433	1,282	(-)151	(-) 11
2009-10	33,878	1,694	1,262	(-)432	(-) 26
2010-11	41,110	2,261	1,788	(-) 473	(-) 21
2011-12	52,613	2,893	2,172	(-) 721	(-) 25
योग	**1,81,219**	**9,529**	**7,945**	**(-) 1,584**	**(-) 17**

स्रोतः वित्त लेखे एंव निदेशक, पंचायती राज, लखनऊ; उप निदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण प्रकोष्ठ, लखनऊ एवं आयुक्त, ग्राम्य विकास लखनऊ।

यह देखा गया कि वर्ष 2007–12 की अवधि में ₹ 1,584 करोड़ की कम धनराशि अंतरित की गयी थी तथा अधिकतम कमी वर्ष 2010–11 में थी जब ₹ 2,261 करोड़ के सापेक्ष मात्र ₹ 1,788 करोड़ ही अन्तरित किया गया था।

लेखापरीक्षा की व्यवस्था

- मुख्य लेखापरीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें सभी त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के प्राथमिक लेखापरीक्षक है। फिर भी अधिकतर पंचायती राज संस्था वर्ष के अंत तक लेखापरीक्षा से वंचित रही। इसका विवरण ***परिशिष्ट 1.7*** में दिया गया है।

- तकनीकी मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण के बारे में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के निर्देशानुसार प्रधान महालेखाकार[11] द्वारा किये गये नमूना जांच के प्रतिवेदनों को मुख्य लेखापरीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें तथा निदेशक, पंचायती राज को कार्यवाही हेतु भेजा जायेगा। फिर भी, वर्ष 2011–12 के अंत में 16,037 प्रस्तर अनिस्तारित थे। वर्षवार विवरण ***परिशिष्ट 1.8*** में दिया गया है।

1.8 व्ययों की गुणवत्ता

राज्य में अच्छे सामाजिक एवं भौतिक अवस्थापना की उपलब्धता सामान्यतः राज्य सरकार के व्यय की गुणवत्ता को प्रदर्शित करती है। व्यय की गुणवत्ता में सुधार के

[11] अप्रैल 2012 से प्रधान महालेखाकार (जनरल एवं सोशल सेक्टर ऑडिट) के रुप में नामित।

अन्तर्गत मुख्यतः तीन पक्ष निहित होते है, जैसे– व्यय की पर्याप्तता (उदाहरणार्थः लोक सेवा की उपलब्धता हेतु पर्याप्त प्रबंध), व्यय के उपयोग की दक्षता एवं प्रभावकारिता (चयनित सेवाओं के लागत–परिणाम सम्बन्धों का आकलन)।

1.8.1 लोक व्यय की पर्याप्तता

सामाजिक क्षेत्रों एवं आर्थिक अवस्थापना से संबंधित व्यय का दायित्व राज्य सरकारों को निर्दिष्ट है। मानव विकास के स्तर में वृद्धि हेतु राज्यों को मुख्य सामाजिक सेवाओं जैसे शिक्षा एवं स्वास्थ्य इत्यादि पर अपने व्यय को बढ़ाना चाहिए। यदि किसी क्षेत्र विशेष में राजकोषीय प्राथमिकता (वर्ग में व्यय का सकल व्यय से अनुपात) संबंधित राष्ट्रीय औसत से कम है तो उस क्षेत्र में राजकोषीय प्राथमिकता कम है। **सारणी 1.23** में वर्ष 2011–12 की अवधि में राज्य सरकार की राजकोषीय प्राथमिकताओं के संदर्भ में विकास व्यय, सामाजिक व्यय तथा पूंजीगत व्यय का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

सारणी 1.23: वर्ष 2008–09 और 2011–12 में राजकोषीय प्राथमिकता

(*प्रतिशत* में)

राज्य द्वारा राजकोषीय प्राथमिकता	ए.ई./ जी.एस.डी.पी.	डी.ई./ ए.ई.	एस.एस.ई./ ए.ई.	सी.ई./ ए.ई.	एजूकेशन /ए.ई.	हेल्थ/ ए.ई.
सामान्य श्रेणी राज्यों का औसत (अनुपात) 2008–09	17.00	67.09	34.28	16.47	15.41	3.97
उत्तर प्रदेश राज्य का औसत (अनुपात) 2008–09	24.05	52.56	31.77	22.54	13.95	4.98
सामान्य श्रेणी राज्यों का औसत (अनुपात) 2011–12	16.09	66.44	36.57	13.25	17.18	4.30
उत्तर प्रदेश राज्य का औसत (अनुपात) 2011–12	21.29	59.34	35.91	14.73	17.96	4.58

*सकल राज्य घरेलू उत्पाद से *प्रतिशत*

ए.ई.: एग्रीगेट एक्सपेन्डीचर डी.ई. : डेवलपमेंट एक्सपेन्डीचर एस.एस.ई. : सोशल सेक्टर एक्सपेन्डीचर सी.ई. : कैपिटल एक्सपेन्डीचर# डेवलपमेंट एक्पेन्डीचर में डेवलपमेंट रेवेन्यू एक्पेन्डीचर, डेवलपमेंट कैपिटल एक्सपेंडीचर, और ऋण एवं अग्रिम संवितरण सम्मिलित है।

स्रोत : सकल राज्य घरेलू उत्पाद के लिए, सूचनाएं राज्य के अर्थ एवं सांख्यिकीय निदेशालय से एकत्र की गयी थी।

राजकोषीय प्राथमिकता

- सामान्य श्रेणी के राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश राज्य का कुल व्यय सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष वर्ष 2008–09 एवं वर्ष 2011–12 में अधिक था।
- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2008–09 एवं वर्ष 2011–12 में विकास पर होने वाले व्यय हेतु पर्याप्त राजकोषीय प्राथमिकता प्रदान नहीं की गयी क्योंकि औसत व्यय की तुलना में सामान्य श्रेणी के राज्यों से इसका अनुपात कम था।
- वर्ष 2008–09 एवं वर्ष 2011–12 में सामाजिक क्षेत्र में किया गया व्यय औसत व्यय की तुलना में सामान्य श्रेणी के राज्यों के सापेक्ष कम था।
- वर्ष 2008–09 एवं वर्ष 2011–12 में औसत व्यय की तुलना में पूँजीगत व्यय सामान्य श्रेणी के राज्यों से अधिक था।
- औसत व्यय के सापेक्ष शिक्षा क्षेत्र पर किये गये व्यय का अनुपात वर्ष 2008–09 में

13.95 *प्रतिशत* से बढ़कर वर्ष 2011–12 में 17.96 *प्रतिशत* हो गया। सामान्य श्रेणी के राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश राज्य में शिक्षा पर होने वाले व्यय की प्राथमिकता वर्ष 2008–09 में कम तथा वर्ष 2011–12 में अधिक थी।

- उत्तर प्रदेश राज्य में स्वास्थ्य क्षेत्र पर किया गया व्यय उल्लेखनीय रहा क्योंकि वर्ष 2008–09 और वर्ष 2011–12 में सामान्य श्रेणी के राज्यों की तुलना में इसका अनुपात अधिक था।

1.8.2 व्यय में दक्षता

सामाजिक एवं आर्थिक विकास की दृष्टि से लोक व्यय की महत्ता के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार के लिये यह आवश्यक है कि वह तर्कसंगत मानकों के साथ उपयुक्त व्यय करे और कोर पब्लिक एवं मेरिट गुड्स की व्यवस्था पर जोर दे। विकास पर व्यय हेतु आवंटन में सुधार करने के अतिरिक्त वर्तमान वर्षों में विशेष रूप से ऋण सेवा में गिरावट के कारण उत्पन्न राजकोषीय शून्य के परिप्रेक्ष्य में व्यय में दक्षता, पूंजीगत व्यय का कुल व्यय (और/या सकल राज्य घरेलू उत्पाद) से अनुपात एवं वर्तमान सामाजिक व आर्थिक सेवाओं के संचालन एवं अनुरक्षण पर किये गये राजस्व व्यय के समानुपात से परिलक्षित होती है। इन मदों के अंतर्गत किये गये व्यय का कुल व्यय से जितना अधिक अनुपात होगा उतनी ही व्यय की गुणवत्ता अच्छी होगी।

वर्ष के बजट अनुमान के साथ ही विगत वर्षों की वास्तविक व्यय के आँकड़ों की तुलना में वर्ष 2011–12 में राज्य के कुल व्यय के सापेक्ष विकास व्यय की प्रवृत्तियाँ **सारणी 1.24** में प्रस्तुत है।

सारणी 1.24 : विकास हेतु व्यय

(₹ करोड़ में)

विकास व्यय के घटक	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	
					पुनरीक्षित अनुमान	वास्तविक व्यय
विकास हेतु व्यय (अ से स) (कोष्ठक में आंकड़े कुल व्यय का *प्रतिशत* प्रस्तुत करता है)	**52,102** (63)	**64,737** (65)	**70,554** (61)	**75,019** (58)	**91,527** (58)	**86,897** (59)
(अ) विकास पर राजस्व व्यय	35,123 (67)	42,695 (66)	45,372 (64)	55,292 (74)	67,940 (74)	65,683 (76)
(ब) विकास पर पूंजीगत व्यय	16,375 (31)	21,504 (33)	24,480 (35)	19,271 (26)	22,776 (25)	20,431 (23)
(स) विकास हेतु ऋण एवं अग्रिम	604 (1)	538 (1)	702 (1)	456 (0)	811 (1)	783 (1)

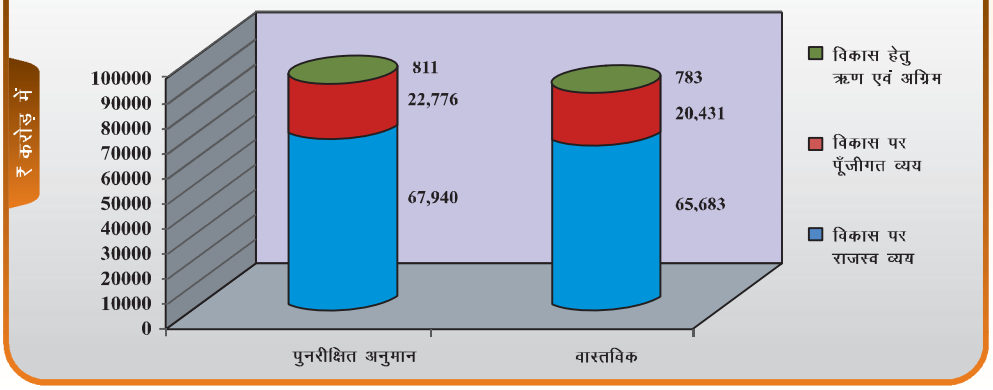
स्रोत : वित्त लेखे

विकास किया गया व्यय, जिसमें सामाजिक आर्थिक सेवाओं के राजस्व एवं पूंजीगत व्यय तथा ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं, वर्ष 2007–08 के ₹ 52,102 करोड़ के स्तर से ₹ 34,795 करोड़ बढ़कर (67 *प्रतिशत*) वर्ष 2011–12 में ₹ 86,897 करोड़ हो गया। विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2011–12 में विकास व्यय में ₹ 11,878 करोड़ (16 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई।

विकास हेतु किये गये व्यय के अन्तर्गत राजस्व व्यय तथा पूंजीगत व्यय में क्रमशः 87 तथा 10 *प्रतिशत* के अनुपात में वृद्धियाँ हुई थीं जबकि सामाजिक आर्थिक सेवाओं हेतु ऋणों एवं अग्रिमों में यह वृद्धि मात्र तीन *प्रतिशत* की थी।

वर्ष 2011–12 के पुनरीक्षित अनुमानों की तुलना में विकास हेतु किये गये व्यय की स्थिति ग्राफ के रूप में **चार्ट 1.11** में प्रदर्शित है। चार्ट से यह स्पष्ट है कि विकास हेतु राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय पुनरीक्षित अनुमान से क्रमशः ₹ 2,257 करोड़ तथा ₹ 2,345 करोड़ कम थे।

चार्ट 1.11 : वर्ष 2011–12 में पुनरीक्षित अनुमानों की तुलना में विकास व्यय के घटक



स्रोत : वित्त लेखे

चयनित सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के अनुरक्षण पर किए गये पूंजीगत व्यय एवं राजस्व व्यय के घटकों का विवरण **सारणी 1.25** में प्रदर्शित है।

सारणी 1.25 : चयनित सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं में किये गये व्यय की दक्षता

(प्रतिशत में)

सामाजिक/आर्थिक अवसंरचना	2010-11			2011-12		
	पूंजीगत व्यय का कुल व्यय में अंश	राजस्व व्यय में अंश		पूंजीगत व्यय का कुल व्यय में अंश	राजस्व व्यय में अंश	
		वेतन एवं मजदूरी	संचालन एवं मरम्मत		वेतन एवं मजदूरी	संचालन एवं मरम्मत
सामाजिक सेवायें						
सामान्य शिक्षा	1.63	82.60	0.07	1.27	87.89	0.04
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	15.94	77.66	0.70	14.04	77.67	1.49
जलापूर्ति, स्वच्छता एवं आवासीय तथा नगरीय विकास	55.38	0.96	2.16	61.55	3.06	3.13
योग (सामाजिक सेवायें)	**10.74**	**56.41**	**0.26**	**9.80**	**59.49**	**0.36**
आर्थिक सेवायें						
कृषि एवं सम्बद्ध क्रियाकलाप	0.00	46.50	0.97	- 3.61	46.41	1.07
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	41.39	58.95	22.36	34.64	53.96	28.90
शक्ति एवं ऊर्जा	65.34	0.67	0.00	54.96	0.45	0.00
परिवहन	72.67	4.15	94.80	70.53	3.56	94.99
योग (आर्थिक सेवायें)	**47.66**	**39.07**	**15.99**	**44.84**	**36.77**	**16.79**
महायोग (सामाजिक सेवायें + आर्थिक सेवायें)	**25.69**	**51.48**	**4.74**	**23.51**	**53.16**	**4.94**

स्रोत : वित्त लेखे एवं वी.एल.सी. आंकड़े

राज्य सरकार के कुल व्ययों में पूंजीगत व्यय के अंश में विगत वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष में 2.18 *प्रतिशत* की कमी हुई। सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत भी पूंजीगत व्यय के भाग में पिछले वर्ष की तुलना में क्रमशः 0.94 *प्रतिशत* तथा 2.82 *प्रतिशत* की कमी हुई। सामाजिक सेवाओं एवं आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत वर्ष 2011–12 की अवधि में पूंजीगत व्यय के कुल व्ययों से अनुपात में पिछले वर्ष की तुलना में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण में 1.90 *प्रतिशत,* सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण में 6.75 *प्रतिशत,* शक्ति एवं ऊर्जा में 10.38 *प्रतिशत* और परिवहन में 2.14 *प्रतिशत* की कमी हुई।

कुल व्ययों में वेतन एवं भत्ता का अंश वर्ष 2010–11 के 51.48 *प्रतिशत* से बढ़कर (1.68 *प्रतिशत*) वर्ष 2011–12 में यह 53.16 *प्रतिशत* में हुई। इसमें सामाजिक सेवाओं में 3.08 *प्रतिशत* की बढ़त थी जो कि आर्थिक सेवाओं में हुई 2.30 *प्रतिशत* की कमी द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित था। सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत सामान्य शिक्षा में वर्ष 2010–11 के सापेक्ष वर्ष 2011–12 में 5.29 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई।

सामाजिक सेवाओं के अन्तर्गत राजस्व व्यय में 'संचालन एवं अनुरक्षण' पर हुए व्यय का अंश विगत वर्ष के 0.26 *प्रतिशत* से बढ़कर वर्तमान वर्ष में 0.36 *प्रतिशत* हो गया। इसी प्रकार, आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत राजस्व व्यय में संचालन एवं अनुरक्षण पर हुए व्यय का कुल अंश विगत वर्ष के 15.99 *प्रतिशत* से बढ़कर वर्तमान वर्ष में 16.79 *प्रतिशत* हो गया, फिर भी, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण में 'संचालन एवं अनुरक्षण' पर व्यय में 6.54 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई।

1.9 राज्य सरकार द्वारा किये गये व्ययों एवं निवेशों का वित्तीय विश्लेषण

राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम के पारित होने के उपरान्त राज्य सरकार से यह अपेक्षित है कि वह अपने राजकोषीय घाटों को न केवल कम स्तर पर रखें बल्कि पूंजीगत व्ययों/निवेशों (अग्रिमों एवं ऋणों (उधार) को सम्मिलित करते हुए) की आवश्यकताओं को पूरा करें। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार को अन्तर्निहित सब्सिडी के रूप में अपने बजट एवं वित्तीय संचालन में पारदर्शिता लाने हेतु आवश्यक कदम उठाने के स्थान पर बाजार–आधारित संसाधनों पर पूर्ण रूप से निर्भर होने के संक्रमण काल में अपने निवेशों पर यथेष्ट लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाने एवं उधार ली गयी धनराशियों का मूल्य वसूलने की आवश्यकता है। इस भाग में विगत वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष में राज्य सरकार के निवेशों एवं पूंजीगत व्ययों के वृहद वित्तीय विश्लेषण को प्रस्तुत किया गया है।

1.9.1 सिंचाई निर्माण कार्यों के वित्तीय परिणाम

सिचांई परियोजनाओं की वाणिज्यिक व्यावहारिकता को सुनिश्चित करने के लिए तेरहवें वित्त आयोग द्वारा सिंचाई से मिलने वाली प्राप्तियों को मूल्यांकन–कर सिंचाई परियोजना के अनुरक्षण व्यय के सापेक्ष लागत वसूली की दर निर्धारित किया गया है।

वृहद, मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजनाओं से वर्ष 2011–12 की अवधि में प्राप्तियां (₹ 232 करोड़) उनके संचालन एवं अनुरक्षण पर किय गये ₹ 3,736 करोड़ के व्यय का मात्र छः *प्रतिशत* थी, जो कि इस वर्ष के लिए तेरहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लागत वसूली अनुमान (35 *प्रतिशत*) से बहुत कम थी। **सारणी 1.26** से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2007–12 की अवधि के लिए वृहद, मध्यम एवं लघु सिंचाई कार्यों के संबंध में बारहवें एवं तेरहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लागत वसूली दर तथा अनुरक्षण व्यय राज्य सरकार द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सका।

सारणी 1.26: बारहवें/तेरहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित मानक के संदर्भ में लागत वसूली दर एवं अनुरक्षण व्यय

वर्ष	राजस्व व्यय	राजस्व प्राप्तियाँ	राजस्व व्यय की तुलना में राजस्व प्राप्तियाँ	बारहवें (2005–10) एवं तेरहवें (2010–15) वित्त आयोग द्वारा लागत वसूली का मूल्यांकन	लागत वसूली में कमी
	₹ करोड़ में		*प्रतिशत* में		
2007-08	2,263	353	16	70	54
2008-09	2,520	295	12	80	68
2009-10	2,633	267	10	90	80
2010-11	3,409	186	5	25	20
2011-12	3,736	232	6	35	29

स्रोतः वित्त लेखे एवं वित्त आयोग की अनुशंसाएँ

वर्ष 2007–10 की पूरी अवधि में बारहवें एवं तेरहवें वित्त आयोगों द्वारा किये गये मूल्यांकन की तुलना में लागत वसूली में कमियों के अन्तर में वृद्धि की प्रवृत्ति रही। वर्ष 2007–08 में कमी 54 *प्रतिशत* के स्तर से बढ़कर वर्ष 2009–10 में यह 80 *प्रतिशत* हो गयी।

जबकि तेरहवें वित्त आयोग द्वारा किये गये मूल्यांकन के सापेक्ष लागत वसूली में कमी के अंतर में वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गयी। आयोग द्वारा 35 *प्रतिशत* की अनुशंसा के सापेक्ष वर्ष 2011–12 की अवधि में इन परियोजनाओं पर 'संचालन एवं अनुरक्षण' पर हुए व्यय का छः *प्रतिशत* ही वसूल किया जा सका जो उनके व्यावहारिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं।

माह मार्च 2012 के अंत तक राज्य सरकार की 16 वृहद सिंचाई परियोजनाओं पर ₹ 6,514.53 करोड़ के पूंजीगत परिव्यय के साथ उनके वित्तीय परिणामों से यह प्रदर्शित हुआ कि इन परियोजनाओं से वर्ष 2011–12 की अवधि में की गयी राजस्व वसूली (₹ 75.20 करोड़) पूंजीगत परिव्यय के *प्रतिशत* के रूप में विगत वर्ष के 1.12 *प्रतिशत* के स्तर से बढ़कर वर्ष 2011–12 में 1.15 *प्रतिशत* हो गयी, जो कि वर्ष 2011–12 की अवधि में पूंजीगत निवेशों पर व्याज (₹ 337.05 करोड़) को भी वहन करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। इन 16 परियोजनाओं से राजस्व वसूली (₹ 75.20 करोड़) के सापेक्ष वर्ष 2011–12 के दौरान इनके 'संचालन एवं अनुरक्षण' पर व्यय (₹ 685.13 करोड़) एवं पूंजीगत परिव्यय पर व्याज ₹ 337.05 करोड़ सम्मिलित करते हुए ₹ 946.98 करोड़ की शुद्ध हानि हुई।

1.9.2 अपूर्ण परियोजनाएं

अपूर्ण परियोजनाओं पर धनराशियों का अवरोधन, व्यय की गुणवत्ता को दुष्प्रभावित करता है। मार्च 2012 तक पूर्ण होने वाली एवं एक करोड़ रुपये की लागत से अधिक अपूर्ण परियोजनाओं की विभागवार स्थिति **सारणी 1.27** में प्रस्तुत है।

सारणी 1.27: विभागवार अपूर्ण परियोजनाओं की स्थिति

(₹ करोड़ में)

विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	प्रारम्भिक बजटीय लागत	परियोजनाओं की कुल पुनरीक्षित लागत*	लागत में वृद्धि[3]	31.3.2012 तक संचयी व्यय
लोक निर्माण विभाग (सड़कें एवं सेतु)	163	2,069.62	208.50 (13 परियोजनाएँ)	66.68[1]	979.93
सिंचाई विभाग	20	795.66	1,760.58 (20 परियोजनाएँ)	964.92[2]	1,473.46
योग	**183**	**2,865.28**	**1,969.08**	**1,031.60**	**2,453.39**

(1) 13 अपूर्ण परियोजनाओं से सम्बन्धित (प्रारंभिक बजट लागत ₹ 141.82 करोड़, पुनरीक्षित लागत ₹ 208.50 करोड़)
(2) 20 अपूर्ण परियोजनाओं से सम्बन्धित (प्रारंभिक बजट लागत ₹ 729.66 करोड़, पुनरीक्षित लागत ₹ 1760.58 करोड़)
(3) पुनरीक्षित परियोजनाओं के संदर्भ में लागत वृद्धि

स्रोत: वित्त लेखे

पूर्वोक्त 183 अपूर्ण परियोजनाओं पर ₹ 2,453.39 करोड़ का व्यय (मार्च 2012) अलाभकारी रहा। पुनः 183 अपूर्ण परियोजनाओं में से 33 परियोजनाओं की प्रारम्भिक बजटीय लागत राज्य सरकार द्वारा पुनरीक्षित की गयी जिससे ₹ 1,031.60 करोड़ की लागत वृद्धि हुई।

परियोजनाओं के निर्धारित समयावधि में पूर्ण न होने से न केवल लागत में वृद्धि हुई अपितु यह इस बात का भी सूचक था कि पुरानी परियोजनाओं को पूरा करने एवं ऋण सेवा के प्रतिफलों की कीमत पर नई परिसम्पत्तियों के सृजन को प्राथमिकता दी गयी।

1.9.3 निवेश एवं प्रतिफल

31 मार्च 2012 तक राज्य सरकार ने सांविधिक निगमों (₹ 398.69 करोड़), सरकारी कम्पनियों (₹ 41,217.24 करोड़), तथा सहकारी संस्थाओं (₹ 991.14 करोड़) में कुल ₹ 42,607.07 करोड़ की धनराशियों का निवेश किया था। विगत तीन वर्षों में इन निवेशों पर औसत प्रतिफल 0.06 *प्रतिशत* था, जबकि राज्य सरकार द्वारा लिये गये ऋणों पर इसी अवधि में 6.48 *प्रतिशत* की औसत ब्याज दर से भुगतान किया गया था। (**सारणी 1.28**)।

सारणी 1.28: निवेशों पर प्रतिफल

निवेशों / प्रतिफलों / लिये गये ऋणों की लागत	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
वर्ष के अंत तक निवेश (₹ करोड़ में)	12,188.76	14,866.13	39,666.64	38,272.54	42,607.07[12]
प्रतिफलों (₹ करोड़ में)	1.05	1.26	8.36	26.81	38.17
प्रतिफलों (*प्रतिशत*)	0.009	0.008	0.021	0.07	0.09
राज्य सरकार द्वारा लिये गये ऋणों पर औसत ब्याज का दर (*प्रतिशत*)[8]	6.43	6.29	6.16	6.67	6.62
ब्याज दर एवं प्रतिफलों में अंतर (*प्रतिशत*)	6.42	6.28	6.14	6.60	6.53

स्रोत: वित्त लेखे

[12] वर्ष 2011–12 एवं विगत वर्षों के, जो कि समाधान के अंतर्गत ₹ 8783.40 करोड़ सम्मिलित है।

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2011–12 की अवधि में मुख्य रूप से ऐसे निगमों में निवेश किया गया था, जो कि विद्युत उत्पादन, विद्युत संचार एवं वितरण तथा ग्रामीण विद्युतीकरण में लगे हुये थे।

1.9.4 राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम

राज्य सरकार सहकारी समितियों, निगमों एवं कम्पनियों में निवेशों के अतिरिक्त इनमें से कई संस्थानों/संगठनों को ऋण एवं अग्रिम भी देती है। विगत तीन वर्षों में ब्याज भुगतान के सापेक्ष ब्याज की प्राप्तियां तथा ऋणों एवं अग्रिमों जो कि 31 मार्च 2012 तक बकाया थे की स्थिति **सारणी 1.29** में प्रस्तुत है।

सारणी 1.29 : राज्य सरकार द्वारा दिये गये अग्रिम ऋणों पर प्राप्त औसत ब्याज

(₹ करोड़ में)

ऋण की मात्रा/ब्याज प्राप्तियां/ उधारी की लागत	2009-10	2010-11	2011-12	
			पुनरीक्षित अनुमान	वास्तविक
प्रारम्भिक अवशेष	**9,014**	**9,663**	**-**	**10,146**
वर्ष में प्रदान अग्रिम की धनराशि	942	968	1,240	976
वर्ष में भुगतान की गयी धनराशि	293	485	537	133
अन्तिम अवशेष	**9,663**	**10,146**	**-**	**10,989**[13]
निवल वृद्धि	649	483	703	843
ब्याज प्राप्तियां	39	65	-	101
अप्राप्त ऋण एवं अग्रिमों के *प्रतिशत* के रूप में ब्याज प्राप्तियां	0.41	0.64	-	0.92
राज्य सरकार के अप्राप्त राजकोषीय दायित्वों के *प्रतिशत* के रूप में ब्याज भुगतान	5.94	6.32	-	6.36
भुगतानित ब्याज एवं ब्याज प्राप्तियों में अंतर (*प्रतिशत*)	(-) 5.53	(-) 5.68	-	(-) 5.44

स्रोतः वित्त लेखे

वर्ष 2011–12 की अवधि में दिए गए अग्रिम ऋण पुनरीक्षित बजट में किए गए प्रावधानों से ₹ 264 करोड़ (21 *प्रतिशत*) कम था, जबकि ऋणों की वापसी (₹ 133 करोड़) बजट अनुमान (₹ 537 करोड़) से चार गुना कम हुई थी।

वर्ष 2011–12 की अवधि में राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत ₹ 456.80 करोड़ तथा सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत ₹ 326.38 करोड़ ऋण दिया गया। आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत 'उद्योगों एवं खनिजों' को ₹ 102.14 करोड़ तथा उपभोक्ता उद्योगों को ₹ 353.10 करोड़ का ऋण दिया गया । इसी प्रकार सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत जलापूर्ति एवं स्वच्छता योजना को ₹ 323.17 करोड़ का ऋण दिया गया।

मार्च 2011 के अन्त में ऋणों एवं अग्रिमों की अवशेष धनराशि ₹ 10,146 करोड़ थी जो कि मार्च 2012 के अन्त में बढ़कर (₹ 843 करोड़) ₹ 10,989 करोड़ हो गयी। प्रमुख रूप से अवशेष धनराशियों का क्षेत्रवार विभाजन इस प्रकार था:– आर्थिक सेवा क्षेत्र (₹ 7,019 करोड़), सामाजिक सेवा क्षेत्र (₹ 2,452 करोड़), सामान्य सेवाएं (₹ 1,344 करोड़) एवं राज्य सरकार के कर्मचारियों (₹ 172 करोड़)। आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत अवशेष ऋण मुख्यतः ऊर्जा (₹ 2,681 करोड़), उद्योग एवं खनिजों (₹ 3,362 करोड़) एवं कृषि एवं अन्य सम्बद्ध कार्यकलापों (₹ 350 करोड़) से सम्बन्धित थे।

[13] पूर्णांक के कारण ₹ एक करोड़ का अंतर होने के कारण वर्ष 2012–13 के लिए प्रारम्भिक अवशेष ₹ 10,988 करोड़ होगा।

उधार ली गयी धनराशियों पर भुगतानित ब्याज दर वर्ष 2009–10 में 5.94 *प्रतिशत* एवं वर्ष 2011–12 में 6.36 *प्रतिशत* थी। 2009–12 की अवधि में अवशेष ऋणों एवं अग्रिमों पर ब्याज की प्राप्तियां एक *प्रतिशत* से भी कम थी। यह इस तथ्य की ओर इंगित करता है कि ब्याज की प्राप्तियां ऋण–सेवा हेतु आवश्यक ब्याज के दायित्वों को पूरा करने हेतु भी पर्याप्त नहीं थीं।

1.9.5 नगद अवशेष एवं नगद अवशेषों का निवेश

वर्ष की अवधि में राज्य सरकार के नगद अवशेष एवं राज्य सरकार द्वारा नगद अवशेषों से किए गये निवेशों का विवरण **सारणी 1.30** में दर्शाया गया है। वर्ष 2011–12 की समाप्ति पर राज्य सरकार के पास ₹ 13,447 करोड़ नकद अवशेष धनराशि थी।

सारणी 1.30 : नगद अवशेष एवं नगद अवशेषों से निवेशों का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2011 को	31 मार्च 2012 को	वृद्धि (+)/कमी(–)
नगद अवशेष	**10,304.99**	**13446.70**	**3141.71**
नगद अवशेष से निवेश (अ एवं ब)	**9,877.81**	**14052.72**	**4174.91**
अ–भारत सरकार के ट्रेजरी बिल	9,877.81	14052.72	4174.91
ब–भारत सरकार की प्रतिभूतियां	-	-	-
चिन्हित अवशेषों में से निवेश निधिवार विवरण (अ एवं ब)	**45.20**	**45.20**	-
अ–भारत सरकार के ट्रेजरी बिल	-	-	-
ब–भारत सरकार की प्रतिभूतियां	45.20	45.20	-
भारत सरकार की प्रत्याभूतियों में निवेश पर अर्जित ब्याज	**231.87**	**311.96**	**80.09**

स्रोतः वित्त लेखे

वर्ष 2011–12 की अवधि में राज्य सरकार को नगद अवशेषों के निवेशों से 2.22 *प्रतिशत*[14] की दर से ब्याज प्राप्त हुआ था जबकि इसी अवधि में राज्य सरकार द्वारा उधार ली गयी धनराशियों पर 6.62 *प्रतिशत* की दर से ब्याज का भुगतान किया गया था।

1.9.6 अर्थोपाय अग्रिम

राज्य सरकार को भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ अनुबन्ध के अधीन ₹ 4.71 करोड़ का न्यूनतम नगद अवशेष बनाये रखना है इस नगद अवशेष का सीमा के नीचे होने पर कमी को समय–समय पर साधारण एवं विशेष अर्थापाय अग्रिमों/ओवरड्राफ्टों को लेकर पूरा किया जाता है। फिर भी सरकार द्वारा वर्ष 2007–10 एवं वर्ष 2011–12 की अवधि में इस सुविधा का उपयोग नहीं किया गया। वर्ष 2010–11 की अवधि में सरकार द्वारा अर्थोपाय अग्रिम के रूप में ₹ 713.88 करोड़ प्राप्त किया गया तथा इसी अवधि में स्वंय उसका पूर्ण पुनर्भुगतान भी किया गया।

1.10 परिसम्पत्तियाँ एवं देयतायें

1.10.1 परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों में वृद्धि एवं संघटक

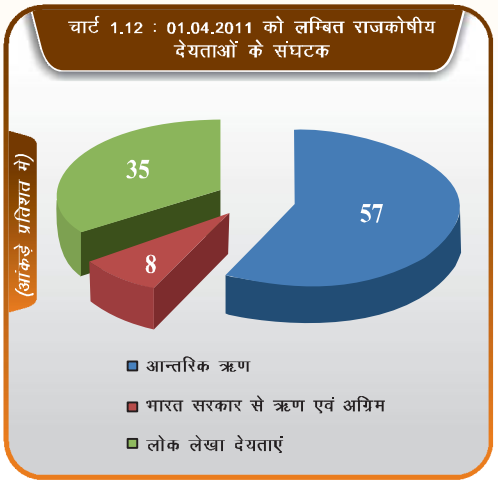
राज्य सरकार की वर्तमान लेखा प्रणाली के अन्तर्गत राज्य सरकार की भूमि, भवनों इत्यादि जैसी अचल परिसम्पत्तियों को समग्र रूप से लेखाबद्ध नहीं किया जाता है।

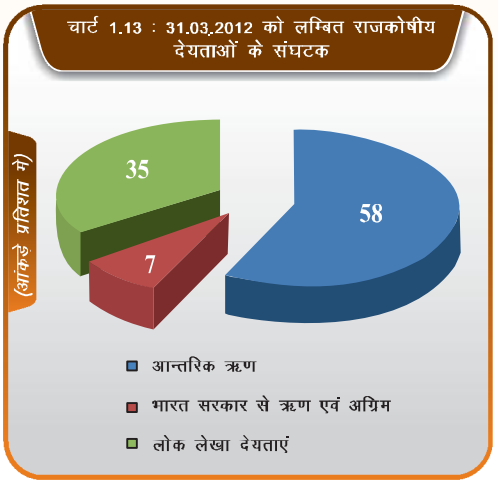
[14] ब्याज की दर की गणना पुनः भुनाये गये औसत धनराशि के ट्रेजरी के बिलों पर आधारित है।

फिर भी, राज्य सरकार के लेखे राज्य सरकार की वित्तीय देयताओं तथा व्यय द्वारा सृजित की गयी परिसम्पत्तियों को समाहित करते हैं। **परिशिष्ट 1.9** में 31 मार्च 2011 के सापेक्ष 31 मार्च 2012 को राज्य सरकार की ऐसी ही वित्तीय देयताओं एवं सृजित परिसम्पत्तियों का सार दिया गया है। यद्यपि ***परिशिष्ट 1.9*** में अंकित वित्तीय देयताओं के अंतर्गत मुख्य रूप से आन्तरिक ऋणों, भारत सरकार से प्राप्त ऋणों एवं अग्रिमों, लोक लेखे एवं रक्षित निधियों से प्राप्तियां दर्शायी गयी है जबकि परिसम्पत्तियों के अंतर्गत मुख्य रूप से पूंजीगत परिव्यय, राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋणों एवं अग्रिमों तथा रोकड़ अवशेषों का विवरण दिया गया है।

1.10.2 राजकोषीय देयतायें

राज्य सरकार की अवशेष राजकोषीय देयताओं की प्रवृत्ति ***परिशिष्ट 1.9*** में प्रस्तुत की गयी है एवं विगत के सापेक्ष वर्ष 2011–12 में राजकोषीय देयताओं के संघटकों को **चार्ट 1.12** एवं **1.13** में प्रस्तुत किया गया है।





स्रोतः वित्त लेखे

राज्य सरकार की राजकोषीय देयताएँ, राजकोषीय देयताओं में वृद्धि दर, राजकोषीय देयताओं का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात, राजस्व प्राप्तियों से अनुपात तथा राज्य के संसाधनों से अनुपात एवं इन प्राचलों के सन्दर्भ में राज्य सरकार की राजकोषीय देयताओं में उत्प्लावकता **सारणी 1.31** में दी गयी है।

सारणी 1.31 : राजकोषीय देयताएं–मूल प्राचल

	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
राजकोषीय देयताएं (₹ करोड़ में)	**1,74,248**	**1,87,411**	**2,01,720**	**2,24,785**	**2,43,229**
वृद्धि दर (*प्रतिशत*)	7.46	7.55	7.64	11.43	8.21
राजकोषीय देयताओं का निम्न से अनुपात					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (*प्रतिशत*)	48.73	45.47	41.06	38.20	35.36
राजस्व प्राप्ति (*प्रतिशत*)	253.74	240.79	209.21	202.17	185.86
स्वयं के संसाधन (*प्रतिशत*)	566.20	529.02	424.86	429.91	387.56
राजकोषीय देयताओं की निम्न से उत्प्लावकता					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (अनुपात)	0.519	0.494	0.398	0.578	0.486
राजस्व प्राप्ति (अनुपात)	0.561	0.566	0.320	0.747	0.464
स्वयं के संसाधन (अनुपात)	1.772	0.500	0.225	1.129	0.410

स्रोतः वित्त लेखे

राज्य सरकार की कुल राजकोषीय देयताएं वर्ष 2007–08 के स्तर ₹ 1,74,248 करोड़ से बढ़कर (40 *प्रतिशत*) वर्ष 2011–12 में ₹ 2,43,229 करोड़ हो गयीं। समेकित निधि (₹ 1,57,899 करोड़) के अन्तर्गत राजकोषीय देयताओं में आंतरिक ऋण (₹ 1,40,388 करोड़) एवं भारत सरकार से प्राप्त ऋण (₹ 17,511 करोड़) सम्मिलित थे। लोक लेखा देयताओं (₹ 85,330 करोड़) में लघु बचतें, भविष्य निधि (₹ 37,730 करोड़), जमा (₹ 16,016 करोड़) एवं आरक्षित निधि (₹ 31,584 करोड़) सम्मिलित थी। विगत वर्ष के 11.43 *प्रतिशत* के सापेक्ष वर्ष 2011–12 में राज्य सरकार की राजकोषीय देयताओं में 8.21 *प्रतिशत* की वृद्धि दर थी। सकल राज्य घरेलू उत्पाद से राजकोषीय देयताओं का अनुपात वर्ष 2007–08 में 48.73 *प्रतिशत* के स्तर से घटकर वर्ष 2011–12 में 35.36 *प्रतिशत* हो गया। यह राजकोषीय देयताएं वर्ष 2011–12 के अंत में राजस्व प्राप्तियों से 1.86 गुना तथा राज्य के अपने संसाधनों से 3.88 गुना रहीं। वर्ष की अवधि में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष राजकोषीय देयताओं की उत्प्लावकता 0.486 *प्रतिशत* थी, जो यह प्रदर्शित करती है कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्रत्येक एक *प्रतिशत* वृद्धि के लिए राजकोषीय देयताएं 0.486 *प्रतिशत* बढ़ी।

वर्ष 2011–12 की अवधि में राज्य सरकार द्वारा अनेक स्रोतों से ₹ 19,336.67 करोड़ का ऋण लिया गया था जिसमें उधार लिए गए ₹ 15,830 करोड़ भी शामिल थे। नगद अवशेषों के आधिक्य के बावजूद राज्य सरकार द्वारा ऋण लिया गया। विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन हेतु राज्य सरकार को तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा को अनुगृहीत करना चाहिये जिसके अनुसार ऐसे राज्य जिनके पास अधिक नगद अवशेष उपलब्ध हैं उन्हे नयी उधारियों का आश्रय लेने के पूर्व उनके उपयोग हेतु प्रयास करना चाहिये।

राज्य सरकार ने खुले बाजार से लिये गये ऋणों के परिशमन से बचने के लिए सिंकिंग फण्ड की स्थापना की है। इस फण्ड में राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष निधि के निवेशों पर अर्जित ब्याज एवं राजस्व से धनराशि का योगदान किया जाता है। इस सिंकिंग फण्ड में विगत वर्ष के ₹ 24,179.80 करोड़ के सापेक्ष वर्ष 2011–12 के अंत में ₹ 29,809.67 करोड़[15] की धनराशि अवशेष थी।

1.10.3 गारन्टी की स्थिति–आकस्मिक देयताएं

गारन्टी राज्य के समेकित निधि पर आकस्मिक देयताएं हैं, जो उधार लेने वाले, जिनके लिए गारन्टी दी गयी थी, द्वारा उधार की अदायगी न करने पर उपभोग की जाती है। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2004 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार किसी निगम अथवा विधि के अन्तर्गत निर्धारित धनराशि से अधिक धनराशि की गारन्टी नहीं देगी।

फिर भी, राज्य सरकार ने ऐसी कोई विधि या नियम नहीं बनाये थे जो कि राज्य सरकार की संचित निधि के आधार पर राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली गारंटी की सीमा निर्धारित करती हो। तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा भी आकस्मिक देयताओं, जो कि प्रत्याभूति के भुगतान करने पर उत्पन्न हों, की प्रतिपूर्ति हेतु कोई निधि स्थापित नहीं की गई थी।

फलस्वरूप, राज्य सरकार द्वारा गारन्टी हेतु लिये गये शुल्कों को निर्दिष्ट निधि में जमा करने के स्थान पर राजस्व प्राप्तियों के मद में जमा किया गया जिसका उपयोग राज्य सरकार द्वारा दी गयी गारन्टी के उपयोग की परिस्थिति में किया जाना था।

[15] वित्त लेखे 2011–12 के विवरण संख्या 11 के शीर्ष "8222–01–101" में समाधान के अंतर्गत का अंतर ₹ 193.87 करोड़। ₹ 29,809.67 करोड़ में क्रेडिट अवशेष ₹ 6,166.40 करोड़ अविभाज्य उत्तर प्रदेश के सम्मिलित हैं।

राज्य सरकार के वित्त लेखे के **विवरण–9** के अनुसार राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त गारन्टी की अधिकतम राशि एवं विगत तीन वर्षों से बकाया गारन्टी **सारणी 1.32** में दी गयी है।

सारणी 1.32: राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त गारन्टी

(₹ करोड़ में)

प्रत्याभूतियां (गारन्टी)	2009-10	2010-11	2011-12
गारन्टी की अधिकतम राशि	29,311	29,778	29629
अवशेष गारन्टी की राशि (ब्याज सहित)	20,038	20,162	21752
कुल राजस्व प्राप्तियों से गारन्टी की अधिकतम राशि की प्रतिशतता	30.40	26.78	22.64

स्रोतः वित्त लेखे

गारन्टी की अधिकतम धनराशि वर्ष 2009–10 के ₹ 29,311 करोड़ के स्तर से बढ़कर (एक *प्रतिशत*) वर्ष 2011–12 में ₹ 29,629 करोड़ हो गयी। गारण्टी की अवशेष धनराशियां भी वर्ष 2009–10 के स्तर ₹ 20,038 करोड़ के स्तर से बढ़कर (नौ *प्रतिशत*) वर्ष 2011–12 में ₹ 21,752 करोड़ हो गयी। वर्ष 2009–10 की अवधि में राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष दी गयी गारण्टी भी 30.40 *प्रतिशत* के स्तर से घटकर वर्ष 2011–12 में 22.64 *प्रतिशत* हो गयी, यद्यपि वर्ष 2010–11 के सापेक्ष इसमें 4.14 *प्रतिशत* की कमी हुई। 31 मार्च 2012 तक ब्याज सहित गारण्टी की धनराशि राज्य वित्त निगम (₹ 80.14 करोड़), ऊर्जा क्षेत्र के संस्थानों (₹ 17,607.58 करोड़), सहकारी संस्थानों (₹ 2,791.86 करोड़), एवं अन्य संस्थानों (₹ 1,268.48 करोड़) पर बकाया थी।

यह प्रासंगिक होगा कि अवशेष गारण्टी के कारण उत्पन्न हुए दायित्वों को यदि राज्य सरकार के चालू वर्ष के अन्त के राजकोषीय दायित्वों में जोड़ा जाए तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कुल दायित्वों से अनुपात 35 *प्रतिशत* से बढ़कर 39 *प्रतिशत* हो गयी।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि राजकोषीय देयताएं सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष कम रहीं, विशेषकर राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2011 के लक्ष्य को देखते हुए जिसमें वर्ष 2014–15 तक इसे 42 *प्रतिशत* तक कम किया जाना है।

1.11 ऋण संवहनीयता

राज्य सरकार के ऋणों की मात्रा के अतिरिक्त यह आवश्यक है कि उन सूचकों का विश्लेषण किया जाये जो कि राज्य सरकार की ऋण संवहनीयता का निर्धारण करते हैं। प्रतिवेदन का यह प्रभाग ऋणों में स्थिरता, गैर–ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता, उधार ली गई धनराशियों की निवल उपलब्धता, ब्याज भुगतान का भार (राजस्व प्राप्तियों की तुलना में ब्याज भुगतान के अनुपात की माप) और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों की परिपक्वता अनुपात के संदर्भ में राज्य सरकार के ऋणों की संवहनीयता का आंकलन करता है।

वर्ष 2007–08 से प्रारम्भ होने वाले आगामी पाँच वर्षों की अवधि में उपरोक्त सूचकों के अनुसार राज्य की ऋण संवहनीयता **सारणी 1.33** मे विश्लेषित की गयी है।

सारणी 1.33 : ऋण संवहनीयता–सूचकांक और प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

ऋण संवहनीयता के सूचकांक	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
ऋण स्थिरता (प्रमात्रा विस्तार + प्रारम्भिक घाटा)	**4,664**	**8,426**	**17,733**	**23,413**	**23,134**
गैर ऋण प्राप्तियों की प्रचुरता (संसाधन अंतराल)	(-) 4,179	(-) 6,719	1,820	1,445	1,815
उधार ऋण की निवल उपलब्धता	1,272	1,788	2,387	8,915	3,051
ब्याज भुगतान का भार (आई पी/आर आर अनुपात)	16	15	12	13	12

स्रोतः वित्त लेखे

1.11.1 ऋण स्थायित्व

ऋण संवहनीयता के सन्दर्भ में यह एक तथ्य है कि ऋण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में स्थिर रहे। यदि प्रमात्रा विस्तार एवं प्राथमिक घाटा ऋणात्मक है तो ऋण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात अधिक होगा जोकि इस तथ्य की ओर इंगित करता है कि लोकऋणों का स्तर असंवहनीय है। यदि प्रमात्रा विस्तार एवं प्राथमिक घाटा धनात्मक है तो ऋण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात कम होगा जो कि इस तथ्य की ओर संकेत करता है कि लोक ऋण संवहनीय स्तर का है।

वर्ष 2007–12 की अवधि में प्रमात्रा विस्तार एवं प्राथमिक घाटे का योग धनात्मक रहा जोकि ऋण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में गिरावट की प्रवृत्तियों एवं लोक ऋण के संवहनीय स्तर का सूचक है।

1.11.2 वृद्धिमान गैर–ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता (संसाधन अन्तराल)

ऋण संवहनीयता का एक अन्य सूचक वृद्धिमान ब्याज देयताओं और वृद्धिमान प्राथमिक व्ययों की पूर्ति हेतु राज्य की वृद्धिमान गैर–ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता है। यदि वृद्धिमान ब्याज देयता तथा वृद्धिमान प्राथमिक व्यय की पूर्ति वृद्धिमान गैर–ऋण प्राप्तियों से होती है तो ऋण संवहनीयता को सरल किया जा सकता है। धनात्मक संसाधन अन्तराल मध्यम अवधि से दीर्घावधि में राज्य सरकार की ऋणों को रोकने की क्षमता को सुदृढ़ करता है जबकि नकारात्मक संसाधन अन्तराल इसके विपरीत स्थिति का सूचक है। वर्ष 2007–09 की अवधि में नकारात्मक संसाधन अन्तराल इस तथ्य का सूचक है कि राज्य सरकार की मध्यम अवधि एवं दीर्घावधि में ऋणों को रोकने की क्षमता में कमी आयी है, लेकिन वर्ष 2009–10, 2010–11 तथा 2011–12 की अवधि में इसमें सुधार हुआ है।

1.11.3 लिये गये ऋणों की निवल उपलब्धता

वर्ष 2007–12[16] की अवधि में ब्याज एवं ऋणों के पुनर्भुगतान के पश्चात् आन्तरिक ऋणों एवं भारत सरकार से प्राप्त ऋणों एवं अग्रिमों तथा अन्य दायित्वों से धनराशियों की शुद्ध उपलब्धता 3.38 *प्रतिशत* से 16.14 *प्रतिशत* के मध्य रही। वर्ष 2010–11 की अवधि में राज्य सरकार ने ₹ 6,973 करोड़ के आन्तरिक ऋण, भारत सरकार के

16

(₹ करोड़ में)

	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
प्राप्ति	37,584	49,193	53,485	55,236	49,849
भुगतान (मूलधन एवं ब्याज)	36,312	47,405	51,098	46,321	46,797
उपलब्ध निवल धनराशि	1,272	1,788	2,387	8,915	3,051
उपलब्ध निवल धनराशि (*प्रतिशत* में)	3.38	3.64	4.46	16.14	6.12

₹ 1,315 करोड़ तथा ₹ 15,481 करोड़ के ब्याज सहित ₹ 23,117 करोड़ के अन्य दायित्वों का ही भुगतान किया जिसके परिणामस्वरूप, उधार धनराशियों की उपलब्धता विगत वर्ष के 16.14 *प्रतिशत* से घटकर वर्तमान वर्ष 2011–12 में 6.12 *प्रतिशत* हो गयी। ऋण विमोचन अनुपात में प्रवृत्तियाँ वर्ष 2007–12 की अवधि में 84 प्रतिशत से 97 *प्रतिशत* के मध्य रही। विगत तीन वर्षों में राज्य सरकार के ऋण दायित्वों को पूरा करने हेतु उधार ली गयी धनराशियों का लगभग 91 *प्रतिशत* प्रयोग किया गया।

1.11.4 परिपक्वता की रूपरेखा

ऋण स्टाक के 1.63 *प्रतिशत* की परिपक्वता रूपरेखा राज्य सरकार द्वारा स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं की गयी है जबकि राज्य के बकाया ऋणों का 52.93 *प्रतिशत* सात वर्ष अथवा सात वर्ष से अधिक की परिपक्वता अवधि से सम्बन्धित है। **सारणी 1.34** में राज्य सरकार के ऋणों की परिपक्वता की रूपरेखा तथा **चार्ट 1.14** में इसका ग्राफ दिया गया है।

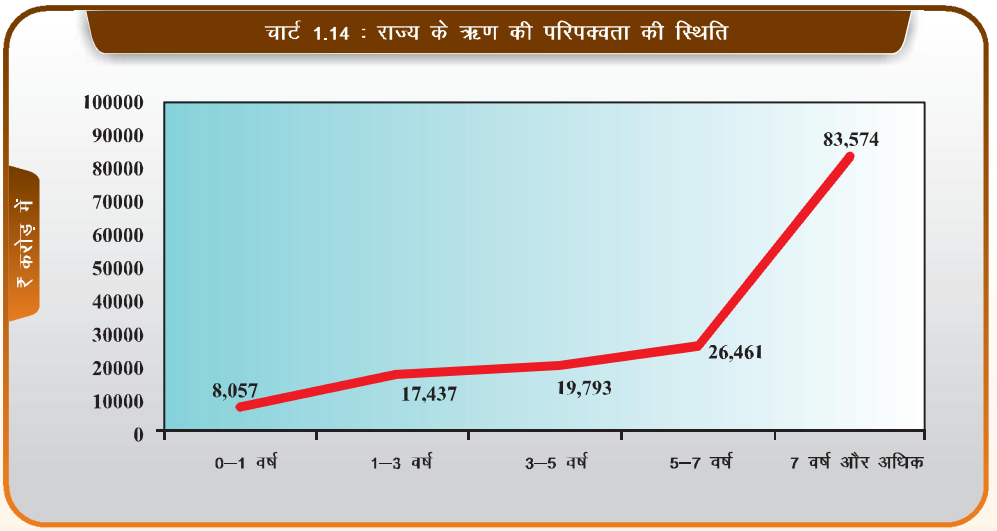
सारणी 1.34: राज्य के ऋणों की परिपक्वता की रूपरेखा

(₹ करोड़ में)

परिपक्वता का प्रक्षेप	आन्तरिक ऋण	भारत सरकार द्वारा दिया गया ऋण एवं अग्रिम	योग	*प्रतिशत*
0 – 1 वर्ष	6,729	1,328	8,057	5.10
1 – 3 वर्ष	14,744	2,693	17,437	11.04
3 – 5 वर्ष	17,064	2,729	19,793	12.54
5 – 7 वर्ष	23,710	2,751	26,461	16.76
7 वर्ष और अधिक	75,564	8,010	83,574	52.93
सूचना सरकार द्वारा नहीं दी गयी	2,577	0	2,577	1.63
योग	**1,40,388**	**17,511**	**1,57,899**	**100**

स्रोत: वित्त लेखे

चार्ट 1.14 : राज्य के ऋण की परिपक्वता की स्थिति



स्रोत: वित्त लेखे

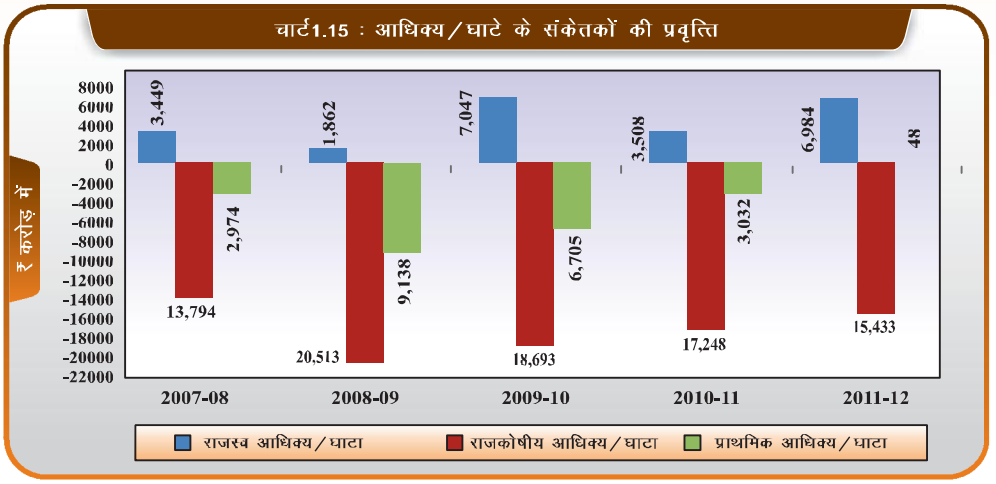
उपरोक्त चार्ट में दिये गये आंकड़ों के अनुसार एक वर्ष एवं सात वर्षों के उपरान्त ऋणों के पुनर्भुगतान का भार एकत्र हो जायेगा जिससे कि ऋणों के पुनर्भुगतान की स्थिति अत्यन्त दयनीय हो जायेगी। ऋणों के भुगतान के लिए एक सुविचारित नीति के अन्तर्गत यह सुनिश्चित करना होगा कि इन वर्षों में परिपक्व होने वाले ऋणों के समय किसी अतिरिक्त उधार न लिया जाये।

1.12 राजकोषीय असंतुलन

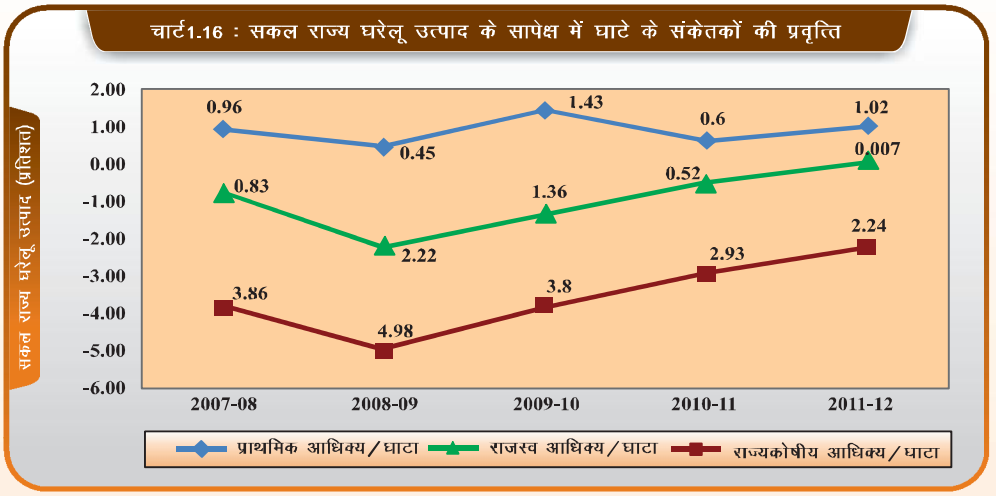
तीन मुख्य प्राचलों–राजस्व, राजकोषीय और प्राथमिक घाटा–से राज्य के वित्त में एक निश्चित अवधि में सकल राजकोषीय असंतुलन की सीमा प्रदर्शित होती हैं। राज्य सरकार के लेखों में प्राप्तियाँ और व्ययों में अन्तर घाटे को प्रदर्शित करता है। घाटे की प्रकृति राज्य सरकार के विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन का सूचक है। पुनः जिस तरह से घाटे का वित–पोषण किया जाता है तथा जिस तरह से सृजित संसाधनों का उपयोग किया जाता है वह राजकोषीय प्रबन्धन का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। प्रतिवेदन का यह प्रभाग इन घाटों की प्रवृत्ति, प्रकृति, मात्रा और वित–पोषण करने के तरीकों को प्रस्तुत करता है एवं राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2004 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए निश्चित लक्ष्यों के सापेक्ष राजस्व एवं राजकोषीय घाटों की वास्तविक स्थिति का आकलन प्रस्तुत करता है।

1.12.1 घाटे की प्रवृत्तियां

चार्ट 1.15 और **1.16** में वर्ष 2007–12 की अवधि में घाटे की प्रवृत्तियों को दर्शाया गया है।



स्रोतः वित्त लेखे



स्रोतः वित्त लेखे

राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2004 के अन्तर्गत राज्य सरकार के लिए निश्चित किए गये राजकोषीय लक्ष्य में राजस्व घाटे को मार्च 2010 तक शून्य किया जाना था। यह अधिनियम वर्ष 2011 में संशोधित किया गया जिसके अनुसार वर्ष 2011–12 के अन्त तक राजस्व घाटा शून्य तथा राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3 *प्रतिशत* करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।

राज्य सरकार ने राजस्व घाटे को घटाकर शून्य करने का लक्ष्य तीन वर्ष पूर्व ही वर्ष 2006–07 में प्राप्त कर लिया था, जब ₹ 4,901 करोड़ का राजस्व घाटा राजस्व आधिक्य में परिवर्तित हो गया। यह आधिक्य वर्ष 2007–08 में कम होकर ₹ 3,449 करोड़ एवं पुनः घटकर वर्ष 2008–09 में ₹ 1,862 करोड़ हो गया। वर्ष 2009–10 में यह बढ़कर ₹ 7,047 करोड़ हो गया परन्तु वर्ष 2010–11 में घटकर ₹ 3,508 करोड़ हो गया। वर्ष 2011–12 में यह बढ़कर ₹ 6,984 करोड हो गया। विगत वर्ष की तुलना में 2011–12 की अवधि में राजस्व आधिक्य में वृद्धि मुख्यतः राजस्व प्राप्तियों में ₹ 19,685 करोड़ की वृद्धि के सापेक्ष राजस्व व्ययों में कम वृद्धि (₹ 16,209 करोड़) होने के कारण हुई।

राजकोषीय घाटा वर्ष 2010–11 के ₹ 17,248 करोड़ से घटकर वर्ष 2011–12 में ₹ 15,433 करोड़ हो गया। इसका मुख्य कारण यह था कि राजस्व और पूँजीगत व्ययों एवं राजस्व और गैर–ऋण पूँजीगत प्राप्तियों में वृद्धियाँ विगत वर्ष के सापेक्ष वर्तमान वित्तीय वर्ष में समानुपातिक थी। वर्तमान वित्तीय वर्ष की अविध में राजस्व और गैर–ऋण पूँजीगत प्राप्तियों में 17 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई (विगत वर्ष के सापेक्ष वर्तमान वर्ष की अवधि में करेतर राजस्व संचयन में नौ *प्रतिशत* की कमी के बावजूद), जबकि राजस्व और पूँजीगत व्ययों दोनों में मात्र 14 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई। राजस्व और पूँजीगत व्यय के अंतर्गत ₹ 17,510 करोड़ की वृद्धि मुख्यतः दोनों के बीच 12:1 के अनुपात में था। अतः पूँजीगत लेखा में कम व्यय के कारण राजकोषीय घाटे में कमी आयी। परिणामस्वरूप, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष राजकोषीय घाटा वर्ष 2010–11 में 2.93 *प्रतिशत* से घटकर वर्ष 2011–12 में 2.24 *प्रतिशत* हो गया जोकि संशोधित राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन के तीन *प्रतिशत* के मानक से कम था।

विगत वित्तीय वर्ष की अवधि में ₹ 3,032 करोड़ का प्राथमिक घाटा वर्तमान वित्तीय वर्ष में पूर्णतः समाप्त हो गया तथा ₹ 48 करोड़ के आधिक्य में परिवर्तित हो गया । यह मुख्यतः विगत वर्ष के सापेक्ष वर्ष 2011–12 में राजकोषीय घाटे में ₹ 1,815 करोड़ की कमी तथा ब्याज भुगतान में ₹ 1,265 करोड़ की वृद्धि के फलस्वरूप था।

1.12.2 राजकोषीय घाटे और इसके वित्तीय प्रवृत्ति के घटक

राज्य सरकार को अपने राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए ऋण लेने की आवश्यकता पड़ती है। राजकोषीय घाटा, राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय (ऋणों एवं अग्रिमों सहित) का राजस्व प्राप्तियों एवं गैर–ऋण पूंजी प्राप्तियों पर आधिक्य है। राजकोषीय घाटे के विभिन्न घटकों के विश्लेषण से यह तथ्य प्रकाश में आता है कि राज्य सरकार द्वारा राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय का राजस्व प्राप्तियों एवं गैर–ऋण प्राप्तियों पर आधिक्य को पूरा करने हेतु किस सीमा तक ऋण लिया गया था। राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण की प्रवृत्ति को **सारणी 1.35** में प्रदर्शित किया गया है।

सारणी 1.35: राजकोषीय घाटा एवं इसके वित्तपोषण के घटक

(₹ करोड़ में)

विवरण		2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
राजकोषीय घाटे का विघटन						
राजकोषीय घाटा (1 से 3 तक)		**13,794 (3.86)**	**20,513 (4.98)**	**18,693 (3.80)**	**17,248 (2.93)**	**15,433 (2.24)**
1	राजस्व घाटा/आधिक्य (–)	(-) 3,449	(-) 1,862	(-) 7,047	(-)3,508	(-) 6,984
2	निबल पूंजीगत व्यय	16,950	22,346	25,091	20,273	21,574
3	निबल ऋण एवं अग्रिम	293	29	649	483	843
राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण की प्रवृत्ति*						
1	बाजार उधारी	2,628	10,296	11,421	10,074	12,834
2	भारत सरकार से ऋण	(-) 821	(-) 778	(-) 917	(-)937	(-) 999
3	एन. एस. एस. एफ. को निर्गत विशेष प्रतिभूतियाँ	1,423	426	3,899	5,415	395
4	वित्तीय संस्थाओं से ऋण	1,068	628	418	(-)541	(-) 865
5	लघु बचते, भविष्य निधि इत्यादि	2,451	2,944	3,870	4,871	3,630
6	निक्षेप एवं अग्रिम	2,683	(-) 2,525	93	1,843	(-) 2,038
7	उचन्त एव विविध	654	973	(-) 1,365	757	608
8	प्रेषण	273	78	3	367	(-) 209
9	अन्य (जैसे आकस्मिक निधि के अंतर्गत लेन–देन, आरक्षित निधि, नकद अवशेष निवेश)	3,435	8,471	1,271	(-)4,601	2,077
	योग	**13,794**	**20,513**	**18,693**	**17,248**	**15,433**

कोष्ठक में दी गयी संख्या सकल राज्य घरेलू उत्पाद से *प्रतिशत* है

*ये सभी आंकड़े वर्ष के अंतर्गत वितरण/व्यय का निबल हैं

स्रोतः वित्त लेखे

राज्य सरकार का वर्ष 2007–12 की अवधि में राजकोषीय घाटा ₹13,794 करोड़ (2007–08) और ₹ 20,513 करोड़ (2008–09) के मध्य था। राजकोषीय घाटा विगत वर्ष के ₹ 17,248 करोड़ से घटकर (11 *प्रतिशत)* वर्ष 2011–12 में ₹ 15,433 करोड़ हो गया।

विगत वर्षों की तुलना में वर्ष 2011–12 में राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण की प्रवृत्ति में रचनात्मक बदलाव पाया गया। बाजार ऋणों, केन्द्र सरकार के राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां और निक्षेप एवं अग्रिमों इत्यादि की भूमिका में वर्तमान वर्ष में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए।

राज्य सरकार के 2007–12 की अवधि में राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण मुख्यतः बाजार से ऋण लेकर किया जाता रहा है। वर्ष 2007–08 की अवधि में घाटे का 19 *प्रतिशत* बाजार से ऋण लेकर पूरा किया गया जोकि वर्ष 2011–12 की अवधि में बढ़कर 83 *प्रतिशत* हो गया। घाटे के वित्तपोषण का एक अन्य प्रमुख स्रोत राष्ट्रीय अल्प बचत कोष से ऋण लेना था। वर्ष 2011–12 की अवधि में घाटे के वित्तपोषण में इसका भाग 24 *प्रतिशत* रहा जोकि वर्ष 2007–08 में यह 18 *प्रतिशत* तक था।

1.12.3 घाटे/आधिक्य की गुणवत्ता

राजस्व घाटे से राजकोषीय घाटे का अनुपात, प्राथमिक घाटे का प्राथमिक राजस्व घाटे में अपघटन एवं पूंजीगत व्यय (ऋणों एवं अग्रिमों को सम्मिलित करते हुए), राज्य के वित्त में घाटे की गुणवत्ता प्रदर्शित करते हैं। राजस्व घाटे से राजकोषीय घाटे का अनुपात यह प्रदर्शित करता है कि किस सीमा तक उधार की राशियों का उपयोग चालू व्ययों को पूरा करने के लिए किया गया। इसके अतिरिक्त, राजस्व घाटे एवं राजकोषीय घाटे के अनुपात का लगातार उच्च स्तर पर बने रहना यह इंगित करता है कि राज्य

की परिसम्पत्तियों का आधार लगातार कम हो रहा है एवं कुछ सीमा तक ऋण (राजकोषीय देयताओं) राज्य की परिसम्पत्तियों द्वारा समर्थित नहीं है। प्राथमिक घाटे (**सारणी 1.36**) में द्विशाखन उस सीमा की ओर इंगित करता है जिस सीमा तक पूंजीगत व्यय बढ़ जाने के कारण प्राथमिक घाटा हुआ। पूंजीगत व्यय में वृद्धि राज्य की अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता में सुधार हेतु वांछित हो सकती है।

सारणी 1.36: प्राथमिक घाटा/आधिक्य–घटकों का द्विशाखन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	गैर–ऋण प्राप्तियां	प्राथमिक राजस्व व्यय	पूंजीगत व्यय	ऋण एवं अग्रिम	प्राथमिक व्यय	प्राथमिक राजस्व घाटा (–)/ आधिक्य (+)	प्राथमिक घाटा (–)/ आधिक्य (+)
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)	7 (2-3)	8 (2-6)
2007-08	69,121	54,403	16,950	742	72,095	(+) 14,718	(-) 2,974
2008-09	78,609	64,594	22,346	807	87,747	(+) 14,015	(-) 9,138
2009-10	96,714	77,386	25,091	942	1,03,419	(+) 19,328	(-) 6,705
2010-11	1,11,669	93,460	20,273	968	1,14,701	(+)18,209	(-)3,032
2011-12	1,31,002	1,08,404	21,574	976	1,30,954	(+) 22,598	(+) 48

स्रोतः वित्त लेखे

- वर्ष 2007–08 से 2011–12 की अवधि में, गैर–ऋण प्राप्तियाँ ₹ 69,121 करोड़ के स्तर से बढ़कर (90 *प्रतिशत*) ₹ 1,31,002 करोड़ तक हो गयी।

- राज्य सरकार का वर्ष 2007–08 से 2010–11 की अवधि में प्राथमिक घाटा ₹ 3,032 करोड़ से ₹ 9,138 करोड़ के मध्य रहा क्योंकि गैर–ऋण प्राप्तियाँ पूंजीगत व्यय की पूर्ति करने हेतु पर्याप्त नहीं थीं, वर्ष 2011–12 में प्राथमिक घाटा समाप्त होकर प्राथमिक आधिक्य में परिवर्तित हो गया, जोकि प्राथमिक व्ययों को पूरा करने हेतु गैर–ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता के कारण हुआ।

1.13 निष्कर्ष एवं संस्तुतियाँ

राज्य का निष्पादनः वित्तीय वर्ष 2011–12 के अंत में राज्य सरकार के पास राजस्व आधिक्य था, साथ ही राज्य सरकार ने राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत से कम तथा कुल देयताएँ सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 46.9 *प्रतिशत* से कम बनाये रखा, जैसाकि वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन, 2004 और द्वितीय संशोधन अधिनियम, 2011 में निहित है।

पुनरीक्षित अनुमान एवं वास्तविक आकड़ेः वर्ष 2011–12 में पुनरीक्षित अनुमान एवं वास्तविक आकड़े में व्यापक भिन्नता थी। यद्यपि, राजस्व प्राप्तियाँ एवं राजस्व व्यय पुनरीक्षित अनुमान से कम थे, जबकि ब्याज भुगतान और ऋण की सेवाएँ पुनरीक्षित अनुमान से अधिक थी। यह वांछित राजकोषीय लक्ष्यों का प्राप्त न होना दर्शाता है।

संस्तुति

राज्य सरकार द्वारा पुनरीक्षित अनुमानों एवं वास्तविक व्ययों में व्यापक भिन्नता को कम करने के लिए राजकोषीय प्रबन्धन से सम्बन्धित पर्याप्त उपाय शुरू करना तथा उसका अनवरत अनुश्रवण किया जाना चाहिये।

राजस्व प्राप्तियाँ: विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2011–12 की अवधि में राजस्व प्राप्तियों में 18 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो मुख्यतः कर राजस्व में 28 प्रतिशत तथा केन्द्रीय करों में राज्य के अंश में 16 *प्रतिशत* की वृद्धियों के फलस्वरूप थी। ₹ 1,30,869 करोड़ की राजस्व प्राप्तियाँ पुनरीक्षित अनुमान (₹1,37,622 करोड़) से कम थी। कर राजस्व जोकि राजस्व प्राप्तियों का मुख्य घटक है, पुनरीक्षित अनुमान द्वारा निर्धारित लक्ष्य से ₹ 1,747 करोड़ कम था, जबकि यह तेरहवें वित्त आयोग द्वारा किये गये अनुमानों से ₹ 10,802 करोड़ अधिक था। इसी प्रकार करेत्तर राजस्व भी पुनरीक्षित अनुमान द्वारा निर्धारित लक्ष्य से ₹ 3,415 करोड़ कम था और तेरहवें वित्त आयोग द्वारा किये गये मानक अनुमान से ₹ 1,661 करोड़ अधिक था।

भारत सरकार द्वारा राज्य क्रियान्वयन अभिकरणों को सीधे तौर पर हस्तान्तरित की गयी धनराशियों की निगरानी: भारत सरकार द्वारा राज्य क्रियान्वयन अभिकरणों को पर्याप्त धनराशियाँ सीधे तौर पर हस्तांतरित की जाती है हालांकि, राज्य सरकार के पास नियमित आधार पर अनुश्रवण एवं सीधे तौर पर हस्तान्तरित की गयी धनराशियों के उपयोग हेतु कोई तंत्र उपलब्ध नहीं है।

संस्तुति

भारत सरकार द्वारा राज्य क्रियान्वयन अभिकरणों को सीधे तौर पर हस्तांतरित की गयी धनराशियों के उचित लेखांकन, नियमित अद्यतनीकरण एवं अधिप्रमाणन को सुनिश्चित करने हेतु एक प्रणाली होनी चाहिये।

राजस्व व्यय: राजस्व व्यय वर्ष 2011–12 की अवधि में वर्ष 2010–11 की तुलना में 15 *प्रतिशत* बढ़ गया। राजस्व व्यय के अतंर्गत विगत वर्ष की तुलना में आयोजनागत व्यय में सात *प्रतिशत* की तथा आयोजनेत्तर मद में 17*प्रतिशत* की वृद्धि हुई। आयोजनागत व्यय के अंतर्गत वृद्धि से राज्य के अवसंरचना तथा सेवाओं में विकास को प्रदर्शित करता है। कुल व्यय में विगत पाँच वर्ष (2007–12) में वृद्धि की प्रवृत्तियाँ देखी गयी। आयोजनेत्तर राजस्व व्यय का 63 *प्रतिशत* पेंशन, ब्याज अदायगियों तथा सब्सिडी पर वचनबद्ध व्यय के रूप में था।

संस्तुति

राज्य सरकार द्वारा राजकोषीय सुदृढ़ीकरण जोकि अनुत्पादक व्यय से बचने पर आधारित हो, शुरू किया जाना चाहिये। साथ ही, टिकाऊ एवं लाभप्रद सेवाओं की सुपुर्दगी भी सुनिश्चित करनी चाहिये।

विद्युत हानि: राज्य में विद्युत हानियों की समस्या को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा विभिन्न कदम उठाएँ गये है जैसे निर्दिष्ट उपभोक्ताओं के लिए दोहरे मीटर प्रणाली अपनाया जाना, अत्यधिक विद्युत चोरी वाले स्थानों आदि पर नेकेड कन्डक्टरों के स्थान पर एरियल बंच कन्डक्टरों का लगाया जाना तथा फीडर सेपरेशन योजना लागू किया जाना, इत्यादि।

संस्तुति

राज्य सरकार द्वारा सम्पूर्ण राज्य में विद्युत हानियों से संबंधित समस्याओं पर उचित रुप से विचार करना चाहिये।

सरकारी निवेश पर प्रतिफल: सांविधिक, निगमों, सरकारी कम्पनियों, संयुक्त स्कन्ध कम्पनियों और सहकारी समितियों में सरकार के निवेशों पर पिछले तीन वर्षों में औसत प्रतिफल की प्राप्ति 0.06 प्रतिशत थी जबकि इसी अवधि में उधारियों पर राज्य सरकार द्वारा भुगतान अदा किया गया औसत ब्याज 6.48 प्रतिशत था।

संस्तुति

राज्य सरकार द्वारा अपने स्वामित्व वाले हानियाँ उठा रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के काम की समीक्षा की जानी चाहिये।

सिंचाई निर्माण कार्यों की लागत वसूली: सिंचाई परियोजनाएँ वर्ष 2011–12 की अवधि में 'चालू एवं अनुरक्षण' में हुए व्यय का मात्र छः प्रतिशत ही वसूल कर सकी जबकि तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार परियोजनाओं को 35 प्रतिशत वसूल करना था।

संस्तुति

वर्ष 2011–12 की अवधि में कम वसूली के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा सिंचाई परियोजनाओं की व्यवहारिकता को सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी उपाय करने चाहिये।

अपूर्ण परियोजनाएँ: लोक निर्माण विभाग और सिंचाई विभाग की अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या अत्यधिक थी क्योंकि वर्ष 2011–12 में 183 परियोजनाएँ अपूर्ण थीं जिसके परिणामस्वरूप उनके लागत में वृद्धि होने के अतिरिक्त योजनाओं के लाभार्थी भी योजना की सुविधाओं से वंचित रहे।

संस्तुति

अधूरी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राथमिकताएँ निश्चित की जानी चाहिये।

ऋण संवहनीयता: ऋण–सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात वर्ष 2007–08 के 49 *प्रतिशत* से घटकर वर्ष 2011–12 के अंत में 35 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2009–10 से नकारात्मक संसाधन अंतराल राज्य की ऋण संवहनीयता की ओर इंगित करते हैं। विगत तीन वर्षो में लिये गये ऋणों का लगभग 91 *प्रतिशत* ऋण देयताओं के निर्वहन के भुगतान में प्रयोग किया गया था।

संस्तुति

सरकार द्वारा एक सिंकिंग फण्ड बनाया गया है, लेकिन इस फण्ड का अवशेष ऋणों के परिशोधन के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है। अतः राज्य सरकार को एक साथ ऋणों के पुनर्भुगतानों से बचने हेतु एक सोची–समझी रणनीति सुनिश्चित करनी चाहिए।

नगद शेष: वर्ष 2011–12 के अंत में राज्य सरकार के पास ₹ 13,447 करोड़ का पर्याप्त नगद शेष था।

संस्तुति

तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा नयी उधारियों का आश्रय लेने के पूर्व आधिक्य नगद शेष के उपयोग हेतु प्रभावी योजना बनायी जानी चाहिये।